अध्याय 1

राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य

1. पृष्ठभूमि

राजस्थान के गठन की प्रक्रिया वर्ष 1949 में प्रारम्भ हुई तथा इसका वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप राज्य पुर्नगठन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वर्ष 1956 में अस्तित्व में आया। इससे पूर्व राजस्थान पृथक–पृथक देशी रियासतों का सम्मिलित रूप था। चूंकि ये रियासतें राजपूत राजाओं के अधीन थी, अतः कालान्तर में इस क्षेत्र को 'राजपूताना' कहा जाने लगा। स्वतंत्रता पश्चात् देश में नया संविधान लागू होने पर राज्य का नाम विधिवत् रूप से 'राजस्थान' रखा गया। वर्तमान में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 56.5 मिलियन है। राजस्थान 6 संभागों में बँटा हुआ है। इसमें कुल 32 जिले, 237 पंचायत समितियाँ व 241 तहसील मुख्यालय हैं।

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनसंख्या जीवनयापन के लिये मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एक मेरूदण्ड की तरह है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान मरूस्थलीय, पर्वतीय, मैदानी एवं पठारी भू–भागों का सम्मिलित रूप है। राज्य का 58 प्रतिशत भू–भाग मरूस्थलीय है, जहाँ राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यह भू–भाग राज्य के 12 जिलों को समेटे हुए है।

राज्य का 33 प्रतिशत भू–भाग मैदानी एवं पठारी है। यह भाग राज्य के 11 जिले समेटे हुए है, जहाँ राज्य की 50 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। राज्य का यह वह भाग है जहां सर्वाधिक जनसंख्या है। शेष 9 प्रतिशत भू–भाग में अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं जहाँ राज्य की 10 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। राज्य की जलवायु का 61 प्रतिशत क्षेत्र शुष्क एवं अत्यधिक विषम हैं तथा 49 प्रतिशत क्षेत्र आर्द्र, अति आर्द्र व उपआर्द्र का मिला जुला रूप है।

2. शैक्षिक परिदृश्य

राजस्थान गठन के समय राज्य की कुल साक्षरता दर 8.5 प्रतिशत थी। इसमें पुरूष साक्षरता दर 13.88 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर मात्र 2.66 प्रतिशत थी। स्वतंत्रता पश्चात् देश में लागू नये संविधान में शिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को इस रूप में व्यक्त किया गया कि 'इस संविधान के लागू होने से दस वर्ष तक की अवधि में राज्य अपनी सीमा के सभी बालक–बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तब तक प्रदान करता रहेगा जब तक कि वे 14 वर्ष तक की आयु प्राप्त नहीं कर लेते।' संविधान लागू होने के पश्चात् राज्य में शिक्षा के लोकव्यापीकरण को लेकर अलग–अलग स्तरों पर प्रयास शुरू किये गये। इन प्रयासों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया क्योंकि राज्य में असाक्षरता की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी। धीरे–धीरे इन प्रयासों का प्रभाव राज्य के शैक्षिक परिदृश्य में दृष्टिगत होने लगा। फलस्वरूप राज्य की औसत साक्षरता दर वर्ष 1981 में बढ़कर 30.11 प्रतिशत तथा वर्ष 1991 में बढ़कर 38.55 प्रतिशत हो गई। स्वतंत्रता पश्चात् चार दशकों में वर्ष 1951–1991 तक साक्षरता दर में 30 प्रतिशत की वृद्धि होना कोई विशेष उपलब्धि तो नहीं कही जा सकती, किन्तु शिक्षा के विस्तार एवं शिक्षा की आधारभूत सुविधाओं को लेकर जो प्रयास शुरू किये गये उन्होंने राज्य में शैक्षिक वातावरण बनाने में एक अहम् भूमिका निभाई है।

सारणीः राज्य में साक्षरता दर की स्थिति वर्ष 1951–1991 तक[1]

वर्ष	कुल साक्षरता दर	पुरूष दर	महिला दर
1951	8.50	13.88	2.66
1961	18.12	28.08	701
1971	22.57	33.87	10.06
1981	30.11	44.77	14.00
1991	38.55	54.99	20.44

[1] Educational development Index_raj. – Hemlata Joshi Page - 29

राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को देखें तो पता चलता है कि स्वतंत्रता पश्चात वर्ष 1949 में राज्य में कुल 3,195 प्राथमिक विद्यालय थे, जिनमें 2,864 बालक विद्यालय एवं मात्र 331 बालिका विद्यालय थे। वर्ष 1961 में विद्यालयों की संख्या 14,482 तथा वर्ष 1981 में बढ़कर 23,125 हो गई। 1981 से वर्ष 1991 तक की समयावधि में राज्य में विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 1991 में राज्य में विद्यालयों की संख्या बढ़कर 39,302 हो गई। विद्यालयों की बढ़ती संख्या से बच्चों के नामांकन की स्थिति भी बेहतर होने लगी। वर्ष 1949 से वर्ष 1961 तक की समयाविधि में राज्य में बच्चों के नामांकन में 400 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई[2] और वर्ष 1981 तक विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या लगभग 31.26 लाख हो गई थी। इसी प्रकार शिक्षकों की संख्या जो कि वर्ष 1949 में मात्र 6,666 थी, वर्ष 1959 में 20,252 तथा वर्ष 1981 में बढ़कर 50,400 हो गई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1991–1996 तक) के द्वारा राज्य में शिक्षा के सार्वजनीनकरण तथा शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिये अनवरत प्रयास किये गये। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 15.50 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 24.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर इस दौरान राज्य में राजकीय विद्यालयों की संख्या में 17.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे गाँव–गाँव में विद्यालय की उपलब्धता हो पाई, जिससे बच्चे शिक्षा से जुड़ने लगे। राज्य में विद्यालयों की इस बढ़ती संख्या ने शिक्षा के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सारणीः पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विद्यालयों की स्थिति[3]

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	कुल
1991–92	29972	9330	39302
1992–93	31836	9802	41638
1993–94	32452	10028	42480
1994–95	32960	11235	44195
1995–96	34619	11647	46266

इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भी राज्य में शिक्षकों की संख्या एवं बच्चों के नामांकन में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 1991–96 तक राज्य में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की संख्या में 21.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें महिला शिक्षिकाओं में 40.30 प्रतिशत वृद्धि की तथा पुरूष शिक्षकों में 14.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की संख्या में इस दौरान कुल 26.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें महिला शिक्षिकाओं की संख्या में 21.52 प्रतिशत तथा पुरूष शिक्षकों की संख्या में 29.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

नामांकन की स्थिति (हजारों में)[4]

वर्ष	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8 तक		
	लड़का	लड़की	कुल	लड़का	लड़की	कुल
1991–92	3126	1466	4592	1092	342	1434
1992–93	3776	1866	5662	1348	470	1818
1993–94	3908	2013	5921	1381	495	1876
1994–95	4049	2183	6232	1440	532	1972
1995–96	4285	2371	6656	1561	575	2091

इसी दौरान 1991–92 तथा 1995–96 के बीच प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में 35.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा लड़के व लड़कियों का नामांकन दर देखा जाए तो लड़कियों के नामांकन में वृद्धि लड़कों के

[2] NCERT (1961) A review of Education in India (1947-61)
[3] man 8 Development, Dec.2000 Primary Education in Raj. – Rohit Dhankar, Tarun de –Page.62
[4] Primary Education in Raj - Rohit Dhankar, Tarun De - Page 62

मुकाबले ज्यादा हुई जो 48.90 प्रतिशत तथा 29.52 प्रतिशत है। इसका मतलब लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा में कुछ सुधार हुए हैं लेकिन यदि पूर्ण नामांकन दर में सिर्फ लड़कियों के नामांकन दर को देखा जाए तो यह सुधार बहुत ही थोड़ा सा है। 1991–92 में लड़कियों का नामांकन दर सभी प्राथमिक स्कूल के बच्चों में 31.93 प्रतिशत था और 1995–96 में 35.62 प्रतिशत यानि सिर्फ 3.69 प्रतिशत की वृद्धि। यदि प्राथमिक स्तर के नामांकन दर व शिक्षकों की संख्या को देखा जाए तो नामांकन दर में 35.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 21.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानि शिक्षक – छात्र अनुपात और गिर गया है, जो सीधे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालता है। यदि इन आंकड़ों को देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की संख्या 98,932 है और उस स्तर पर बच्चों की संख्या 73,81,000 है, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात 1:75 निकलता है, जो कि स्वीकृत शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 करने के लिए 86,000 शिक्षकों की और आवश्यकता है यानि राजस्थान सरकार को वर्तमान नामांकन के लिए प्राथमिक स्तर पर मौजूद शिक्षकों की संख्या को लगभग दुगुना करना पड़ेगा।

डीपीईडपी परियोजना की क्रियान्वयन योजना के अनुसार डीपीईपी के दस जिलों में ड्रापआउट दर 1993 में 56.76 प्रतिशत थी, जबकि पूरे राजस्थान में 50 प्रतिशत (लोक जुम्बिश के तीसरे चरण के परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार) थी। इसका मतलब 50 प्रतिशत से भी कम बच्चों ने (जो प्राथमिक स्कूलों में नामांकित थे) प्राथमिक शिक्षा पूरी की? यह आंकड़ा निश्चय ही यह दर्शाता है कि राजस्थान में अच्छे स्कूलों तथा शिक्षकों की अभी और आवश्यकता है।

डीपीईपी के दस जिलों में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराए गए एक बेस लाईन अध्ययन में पाया गया कि प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी कर चुके बच्चों का शैक्षणिक स्तर अपेक्षानुसार काफी कम था। इन दस जिलों के आधार पर यह माना जा सकता है कि राज्य में अन्य जिलों की स्थिति भी इसी प्रकार होगी। इस अध्ययन में भी विद्यालय अवलोकन के दौरान यह अनुभव किया गया कि प्राथमिक स्तर तक मूल रूप से पढ़ना, लिखना और गणना करना तीन क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। अन्य क्षमताओं विवेक, सौन्दर्य बोध तथा नैतिक मूल्यों की समझ आदि सामाजिक स्थितियों में रहकर आकस्मिक रूप से सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है।

शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार द्वारा राज्य में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ–साथ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है जिसका एक प्रमुख कारण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति का संतोषजनक नहीं होना कहा जा सकता है। गैर सरकारी विद्यालय मूल रूप से व्यावसायिक नजरिया अपनाए हुए है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी नजरिए को आधार मानकर निरन्तर अपना विस्तार कर रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने जीवन स्तर को निरन्तर ऊंचा उठाने के प्रयास में गैर सरकारी विद्यालयों की ओर आकर्षित हुए जा रहे हैं।

लेकिन फिर देखा जाये तो साक्षरता की दृष्टि से वर्ष 1991 तक राजस्थान की गिनती भारत में एक पिछड़े हुए राज्य के रूप में की जाती थी। आंकड़ों के आधार पर पिछड़ी साक्षरता दर में राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर था। वर्ष 1991 में राजस्थान की साक्षरता दर 38.55 प्रतिशत थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर 54.99 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर मात्र 20.44 प्रतिशत थी। गत दशक (वर्ष 1991–2001) में राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किये गए। फलस्वरूप राज्य की साक्षरता दर में 22.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि देश की साक्षरता दर में वृद्धि 13. 17 प्रतिशत से भी बेहतर है। इस दौरान राज्य की साक्षरता दर 38.55 प्रतिशत (वर्ष 1991) से बढ़कर 61.03 प्रतिशत (वर्ष 2001) हो गई। इस दशक में विशेष उपलब्धि महिला साक्षरता दर में देखने को मिली। वर्ष 1991 में महिला साक्षरता दर 20.44 थी जो कि वर्ष 2001 में बढ़कर 44.34 प्रतिशत हो गई। पुरूष साक्षरता दर वर्ष 1991 में 54.99 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2001 में बढ़कर 76.46 प्रतिशत हो गई। महिला साक्षरता दर में 23.90 प्रतिशत एवं पुरूष साक्षरता दर में 21.47 प्रतिशत की वृद्धि गत दशक के सकारात्मक एवं उल्लेखनीय प्रयासों के परिणाम को दर्शाती है।

सारणीः साक्षरता की स्थिति वर्ष 1991–2001[5]

साक्षरता	वर्ष 1991	वर्ष 2001	वृद्धि
पुरुष	54.99	76.46	21.47
महिला	20.44	44.34	23.90
कुल	38.55	61.03	22.48

स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य को देखें तो पता चलता है कि यहाँ प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के काफी प्रयास किये गये हैं। एक ओर जहाँ राज्य में औपचारिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के विद्यालय/शिक्षा केन्द्र उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 1991 से राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के आगमन से शिक्षा के प्रसार में बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में वृद्धि के साथ–साथ शिक्षक/शिक्षिकाओं की संख्या एवं बच्चों के नामांकन में भी सकारात्मक वृद्धि हुई है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2001 में कुल विद्यालयों की संख्या 61,575 हो गई। इन विद्यालयों में नामांकन के रूप में राज्य में 6 से 14 आयु वर्ग के 99 लाख बालक–बालिकाएँ तथा 14 से 17 आयुवर्ग के 12 लाख बालक–बालिकाएँ औपचारिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। लगभग 4.2 लाख बालक–बालिकाएँ राज्य में चल रहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से जुड़े हुए हैं।

सारणीः प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति[6] (2000–2001)

प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला	कुल	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
29758	11803	20014	61575	16821

उपरोक्त चीजों को एक साथ देखने की कोशिश करें तो यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक राज्य में शिक्षा के सार्वजनीनकरण के काफी प्रयास किये गए हैं। इन प्रयासों से विद्यालयों की संख्या, शिक्षकों की संख्या के साथ–साथ बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।

इन सबके बावजूद सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता के मानक ढीले पड़े हैं। समाज में लोगों की सरकारी विद्यालयों से दूरिया बढ़ी है और गैर सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा मिला है। ऐसा लगता है कि आंकड़ों की वृद्धि कामांतर स्वतः चलती रहने वाली प्रक्रिया एवं बाजार के दबाव का परिणाम भर है। किसी सृदृढ़ मन से बराबरी व हक के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम नहीं।

[5] Educational Development Index – Raj. – Hemlata Joshi Page - 29
[6] Source: Educational development Indian Raj. by Hemlata Joshi page -31

अध्याय 2

अध्ययन विधि

प्लान इंडिया प्लान इंटरनेशनल की एक इकाई है। यह संस्था देश के विभिन्न भागों में काम करती रही है। प्लान राजस्थान में भी पिछले कई वर्षों से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। इस दौरान प्लान अलग–अलग स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा के सार्वजनीनकरण, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार तथा भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिये प्रयासरत रहा है। प्लान का यह मानना है कि इन संस्थाओं के अतिरिक्त राजस्थान में और भी कुछ ऐसे समूह है जो प्राथमिक शिक्षा की बेहतरी के लिये काम कर रहे हैं। इस अध्ययन तथा उसके बाद प्रति वर्ष होने वाले इसी प्रकार के अध्ययनों व शेयरिंग सेमीनारों के माध्यम से प्लान का यह प्रयास है कि राजस्थान में एक ऐसा मंच बनाया जाये जहाँ प्राथमिक शिक्षा में अलग–अलग स्तरों पर किए जा रहे इन प्रयासों को परस्पर शेयर किया जा सके, इनसे एक–दूसरे को सीखने के अवसर उपलब्ध हो सकें तथा प्राथमिक शिक्षा में आने वाली समस्याओं एवं मुद्दों पर आपस में संवाद किया जा सके ताकि राजस्थान एवं राजस्थान से बाहर प्राथमिक शिक्षा के परिदृश्य को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकें। निरन्तर चलने वाली इस गतिविधि के प्रारम्भ में यह अध्ययन किया जा रहा है।

1. उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में पिछले दशक में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अलग–अलग स्तरों पर किये जा रहे प्रयासों को समझना तथा परस्पर अपने अनुभवों को शेयर करना है। इस विस्तृत उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस अध्ययन के विशिष्ट उदे्श्य इस प्रकार थे–

- राजस्थान में पिछले दशक में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रयासों को चिहि्नत करना तथा उनका दस्तावेजीकरण करना।
- चयनित प्रयासों पर स्वयं संस्था द्वारा अपने प्रयास का विश्लेषण कर उस परं अनुभव पर्चे लिखने एवं अन्य समूहों के सामने शेयर करने में मदद करना।
- प्रयासों का विश्लेषण कर शिक्षा के सार्वजनीनकरण को लेकर आ रही समस्याओं को चिहि्नत करना तथा उनके सम्भावित समाधान खोजना।
- विभिन्न संस्थाओं/समूहों के शिक्षा की गुणवत्ता के विचार को समझना तथा उसका विश्लेषण करना।
- चयनित प्रयासों तथा उपरोक्त विश्लेषण को अध्ययन में शामिल समूहों तथा अन्य शिक्षाविद्ों के साथ शेयर करना ताकि सम्बन्धित मुद्दों पर बेहतर समझ बन सके।

2. अध्ययन विधि

2.1 **प्रयासों का चयन करनाः** इस अध्ययन में पिछले दशक में राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गये सभी प्रयासों को शामिल ना कर केवल चयनित 15–20 प्रयासों को ही शामिल किया जाना था। अध्ययन हेतु प्रयासों के चयन के लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई गई–

2.1.1 **अध्ययन हेतु संस्थाओं की सूची बनानाः** प्लान इण्डिया, केयर इण्डिया, यूनीसेफ, अरावली जयपुर आदि संस्थाओं से राजस्थान में पिछले दशक में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं की सूची प्राप्त कर उन संस्थाओं से पत्राचार एवं दूरभाष द्वारा सम्पर्क किया गया। इन संस्थाओं से उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी माँगी गयी। इस जानकारी के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही 39 संस्थाओं की एक सूची बनायी गयी।

2.1.2 **दस्तावेज इकट्ठे करना:** सूची में शामिल 39 संस्थाओं[7] में दिनांक 30 जुलाई से 10 सितम्बर तक सम्पर्क किया गया। दो लोगों की टीम ने प्रत्येक संस्था में एक दिन बिताया तथा वहाँ से संस्था के शिक्षा कार्यक्रमों से सम्बन्धित दस्तावेज इकट्ठे किये कार्यक्रमों से जुड़े लोगों से बातचीत की ताकि अन्तिम रूप से अध्ययन हेतु प्रयासों को चुना जा सके।

2.1.3 **अन्तिम रूप से कार्यक्रमों का चयन करना:** संस्थाओं में प्रथम अवलोकन से प्राप्त दस्तावेजों के अध्ययन व बातचीत के बाद 20 कार्यक्रमों को अन्तिम रूप से अध्ययन हेतु चुना गया। इन कार्यक्रमों में 16 कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा तथा 4 कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। अध्ययन हेतु कार्यक्रमों के चयन के निम्नलिखित तीन आधार थे–

1. **सरकार द्वारा संचालित प्रयास** : अध्ययन के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाये जा रहे चार कार्यक्रमों का चयन किया गया। इन कार्यक्रमों का चयन ऊपर उल्लेखित तीनों ही आधारों पर किया गया था।

    - शिक्षाकर्मी परियोजना
    - सामुदायिक जनशाला कार्यक्रम
    - राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कार्यक्रम
    - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2. **शिक्षा की पहुँच को लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास** : इसके अन्तर्गत उन कार्यक्रमों का चयन किया गया जिनका संचालन ऐसे समुदाय के बच्चों के लिये किया जा रहा है जो या तो अपनी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित हैं या फिर शिक्षा केन्द्र 3–4 किलोमीटर दूर होने के कारण शिक्षा उनकी पहुँच तक नहीं है।

    इस आधार पर निम्नलिखित आठ कार्यक्रमों/प्रयासों को चुना गया–

क्र.सं.	**चयनित कार्यक्रम**	**संचालन करने वाली संस्था**
1.	बालिका शिक्षा परियोजना	लोक शक्ति विकास संस्थान, बाड़मेर
2.	वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम	प्रयास, चित्तौड़गढ़
3.	बोधिवृक्षः वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम	निर्वाण वन फाऊन्डेशन, अलवर
4.	हमारा तालीमघर कार्यक्रम	सार्ड, डीग (भरतपुर)
5.	जगार केन्द्र कार्यक्रम	संकल्प, मामूनी, (बारां)
6.	तालीमशाला कार्यक्रम	इब्तिदा, अलवर
7.	सार्थक शिक्षा केन्द्र	सिकोईडिकोन, जयपुर
8.	बालिका शिविर	उरमूल ज्योति, बीकानेर

3. **वृहद स्तर[8] पर स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रम** : इसके अन्तर्गत उन कार्यक्रमों का चयन किया गया, जो दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं तथा जहाँ वर्तमान में 3000 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। इस आधार पर दो कार्यक्रमों को चुना गया–

क्र. सं.	**चयनित कार्यक्रम**	**संचालन करने वाली संस्था**
1.	असिफा शिक्षा कार्यक्रम	असिफा, बाँसवाड़ा
2.	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम	सेवा मन्दिर, उदयपुर

4. **शैक्षिक चिन्तन व प्रयोग के स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास** : इस आधार पर उन कार्यक्रमों को चुना गया जिनका शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधि, शिक्षाक्रम, विद्यालय एवं कक्षा के स्वरूप आदि को लेकर अपना एक नजरिया विकसित किया है और जिन्होंने इसे बच्चों के साथ काम में लेकर देखा है। इस आधार पर निम्नलिखित छः कार्यक्रमों का चयन किया गया–

---

[7] सुची रिपोर्ट के अन्त में संलग्न है।

[8] इस अध्ययन में 'वृहद् स्तर' स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिये प्रयोग किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रमों से तुलना के सन्दर्भ में नहीं।

क्र.सं.	चयनित कार्यक्रम	संचालन करने वाली संस्था
1.	शिक्षक पहल कार्यक्रम	बोध शिक्षा समिति, जयपुर
2.	पहचान कार्यक्रम	दिगन्तर, जयपुर
3.	नाटक से पाठ्यक्रम	सम्भव, जयपुर
4.	पढ़ने के लिये सीखना	प्रथम, जयपुर
5.	पहचान कार्यक्रम	कल्प, जयपुर
6.	रात्रि शाला कार्यक्रम	समाज कार्य एवं अनुसन्धान केन्द्र, तिलोनियां[9]

2.2 **आँकड़े एकत्रित करनाः** अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़े एकत्रित करने के लिये एक से अधिक तरीकों को काम में लिया गया। जो इस प्रकार थे–

2.2.1 **व्यक्तिगत साक्षात्कारः** साक्षात्कार प्रपत्र के माध्यम से प्रत्येक कार्यक्रम से जुड़े निम्नांकित व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया–

- संस्था सचिव/निदेशक
- कार्यक्रम समन्वयक
- एक प्रशिक्षणकर्ता
- एक शिक्षक
- एक समुदाय कार्यकर्ता
- एक ग्राम शिक्षा समिति सदस्य

कुछ कार्यक्रमों में इनमें से कुछ कार्यकर्ता नहीं थे, इसलिये उनका साक्षात्कार नही किया गया।

2.2.2 **अवलोकनः** अवलोकन प्रपत्रों के माध्यम से प्रत्येक कार्यक्रम में दो प्रकार के अवलोकन किये गये–

- एक विद्यालय का अवलोकन
- उसी विद्यालय के एक कक्षा शिक्षण का अवलोकन
- प्रत्येक कार्यक्रम में उस विद्यालय का अवलोकन किया गया था, जिसे स्वयं की दृष्टि से कार्यक्रम अपना सबसे अच्छा विद्यालय मानते हैं अवलोकन से पूर्व कार्यक्रम से जुड़े लोगों से यह पहले ही शेयर कर लिया गया था कि वो अपना वह विद्यालय दिखायें जिसमें उनका काम सबसे अच्छा चल रहा है।

2.2.3 **समूह चर्चाः** मार्गदर्शिका के माध्यम से अध्ययन में दो समूहों से चर्चा की गई–

- समुदाय के साथ समूह चर्चा
- बच्चों के साथ समूह चर्चा

2.2.4 **द्वितीयक आँकड़े एकत्रित करनाः** प्रत्येक संस्था एवं चयनित कार्यक्रम से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट, ब्रॉशर, शिक्षाक्रम, पाठ्यपुस्तकें अथवा अन्य कोई लिखित दस्तावेज एकत्रित किये गये। इनमें से कुछ दस्तावेज प्रथम कार्यक्रम अवलोकन के समय ही एकत्रित कर लिये गये थे। इसके अतिरिक्त द्वितीयक स्तर के आँकड़े एकत्रित करने के लिये निम्नलिखित प्रपत्रों का उपयोग किया गया–

– संस्था के कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी प्रपत्र
– संस्था के शिक्षा कार्यक्रमों की जानकारी प्रपत्र
– चयनित कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी प्रपत्र
– चयनित कार्यक्रम में बच्चों का नामांकन सम्बन्धी प्रपत्र

9 समाज कार्य एवं अनुसन्धान केन्द्र तिलोनिया के द्वारा अध्ययन के दौरान समय ना दे पाने के कारण उन्हें अध्ययन से जोड़ा नहीं जा सका।

2.3 **क्षेत्र भ्रमणः** अध्ययन में छः लोगों की एक टीम थी तथा एक सलाहकार थे। इनमें तीन शोधकर्ताओं का चयन केवल कार्यक्रम अवलोकन के लिये ही किया गया था, अन्य लोग इस अध्ययन में प्रारंभ से ही जुड़े रहे थे। अवलोकन से पूर्व अध्ययन एवं किये जाने वाले काम को समझने के लिये तीनों शोधकर्ताओं का एक दिन का प्रशिक्षण किया गया। अवलोकन दो माह (अक्टूबर 2004—नवम्बर 2004) तक चला। दो लोगों की एक टीम एक संस्था कार्यकर्ता एवं एक शोधकर्ता ने प्रत्येक कार्यक्रम को समझने के लिये दो दिन सम्बन्धित संस्था में बिताये। जिसमें एक दिन कार्यक्रम से जुड़े लोगों से बातचीत व द्वितीयक आँकड़े एकत्रित करने का काम किया गया तथा दूसरे दिन कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में पूरे दिन रहकर वहां संचालित होने वाली गतिविधियों को देखा तथा समुदाय व बच्चों से बातचीत की।

2.4 **विश्लेषण व रिपोर्ट लेखनः** इस अध्ययन में तीन प्रकार के पर्चे लिखे गये हैं—

2.4.1 चयनित कार्यक्रमों के बारे में अध्ययन टीम द्वारा एक पर्चा लिखना। यह पर्चा वस्तुतः केस स्टडी के रूप में लिखा गया है जिसे अध्ययन टीम ने प्रत्येक कार्यक्रम के अवलोकन, बातचीत तथा संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर लिखा है। इस प्रकार की 19 केस स्टडी लिखी गई हैं।

2.4.2 चयनित प्रयासों से जुड़े लोगों द्वारा स्वयं अपने प्रयासों का विश्लेषण कर उन पर अनुभव पर्चे लिखना। यह पर्चा संस्थाओं द्वारा स्वयं लिखा गया है, जिसमें अध्ययन टीम ने अनुभवों को व्यवस्थित रूप से लिख सकने में मदद हेतु एक रूपरेखा सभी कार्यक्रमों से शेयर की थी। संस्थाओं को अध्ययन टीम को इस प्रकार के 19 पर्चे प्राप्त होने थे, लेकिन सात पर्चे ही प्राप्त हो सके।

2.4.3 सभी चयनित कार्यक्रमों का समेकित रूप से एक विश्लेषणात्मक परचा तैयार करना। इस परचे में चयन के लिये काम में लिये गये तीन आधारों तथा शिक्षा की गुणवत्ता व सार्वजनीकरण के आधार पर चयनित कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया है।

इस अध्ययन के आधार पर एक राष्ट्रीय स्तर की सेमीनार प्रस्तावित है, जिसमें अध्ययन में शामिल समूहों तथा अन्य शिक्षाविद्ों के साथ उपरोक्त विश्लेषण व रिपोर्ट को शेयर किया जाना है।

3. अध्ययन की सीमाएँ

- इस अध्ययन में समय एवं संसाधनों के अभाव में राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे सभी कार्यक्रमों को सम्मिलित नहीं किया जा सका है।
- अधिकतर कार्यक्रमों को चयन के लिये काम में लिये गये एक से अधिक आधारों में शामिल किया जा सकता है लेकिन संसाधनों के अभाव में एक से अधिक आधारों पर उनका अध्ययन करना सम्भव नहीं था। इसलिये प्रत्येक कार्यक्रम का केवल एक ही आधार पर अध्ययन किया गया है।
- अध्ययन में चयनित कार्यक्रमों द्वारा भी स्वयं एक पर्चा लिखा जाना था। कुछ संस्थाओं के अपने निजी कारणों एवं व्यस्तताओं से यह पर्चा उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अध्याय 3
राजस्थान में शिक्षा संबंधी प्रयास

गत दशक (वर्ष 1991–2001) में राज्य की साक्षरता दर में 22.48 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस दौरान राज्य में शिक्षा के सार्वजनीनकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार तथा शिक्षा की आधारभूत सुविधाओं को लेकर विशेष प्रयास किये गए, जिसके फलस्वरूप एक ओर राज्य में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं दूसरी और बच्चों के नामांकन में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। इन सबके बावजूद सरकारी दस्तावेजों के अनुसार बच्चों के ठहराव की स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

राज्य में आए शैक्षिक बदलाव में राज्य सरकार के साथ–साथ विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संस्थाओं ने एक स्तर पर विभिन्न सरकारी शैक्षिक परियाजनाओं में अपनी भागीदारी निभाई, वहीं दूसरे स्तर पर अनुदानित संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयास यद्यपि राज्य स्तरीय तो नहीं हो सकते, किन्तु इन प्रयासों का महत्व इसलिए अहम है क्योंकि ये प्रयास गाँव स्तर पर जिन सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों में किए जा रहे हैं वे अत्यधिक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हैं। यह प्रयास ना केवल शिक्षा से वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता को लेकर किए गए, बल्कि बालक–बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने तक भी किए गए। इन सभी प्रयासों में बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया।

1. सरकार के द्वारा किये गये प्रयास

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान निहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना तथा उसमें वर्ष 1992 में किए गए संशोधनों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रारंम्भिक शिक्षा के लिए निम्नांकित उद्देश्य तय किये गए–

1. सबके लिए निकटस्थ उपस्थिक शिक्षा की सुविधा तथा सार्वभौमिक नामांकन,
2. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक ठहराव,
3. न्यूनतम अधिगम स्तर के साथ शिक्षा के गुणात्मक स्तर पर बल।[10]

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गत वर्षों में शिक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता सरकार द्वारा किए गए शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से देखी जा सकती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि में राज्य में अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों परियोजनाओं की शुरूआत हुई। इन परियाजनाओं के प्रारंभ करने में राज्य सरकार ने राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों, लोगों के जीवनयापन के तरीकों के साथ–साथ शिक्षा व्यवस्था में नजर आ रही समस्याओं को भी ध्यान में रखा। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान सरकार और परियोजनाओं की वार्षिक रपट के अनुसार अब तक जो बच्चे सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से विद्यालयों में शिक्षक की उपलब्धता न हो पाने, विद्यालय का दूर होने तथा गाँव में विद्यालय व्यवस्था न होने के कारण विद्यालयों से बाहर थे उन तक शिक्षा की पहुंच बन पाई है। इन प्रयासों का मुख्य ध्येय बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना तथा उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। गत वर्षों में राज्य में संचालित किए गए प्रयासों में शिक्षाकर्मी परियोजना, लोक जुम्बिश परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कार्यक्रम, जनशाला कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान आदि प्रयासों को गिना जा सकता है।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के प्रभाव को एक ओर राज्य में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, विद्यालयों में भौतिक संसाधनों में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है, तो दूसरी ओर शिक्षण विधियों में नवाचार, शिक्षण सामग्री

---

[10] प्रगति प्रतिवेदन (2002–2003) राजस्थान सरकार, पृष्ठ संख्या 10

की उपलब्धता तथा विद्यालय व्यवस्था के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों को इन बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है।

1.1 **शिक्षा की पहुँचः** 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में निहित है। राज्य स्तर पर यह दायित्व राज्य का बनता है। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित करते हुए शैक्षिक परियोजनाओं के माध्यम से इस उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रयास ना केवल शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, बल्कि दूर–दराज के गाँवों में भी किए जा रहे हैं इन प्रयासों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है।

राज्य में संचालित इन परियोजनाओं को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। दूर–दराज के गाँवों में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षाकर्मी परियोजना, लोक–जुम्बिश परियोजना, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि शैक्षिक प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित इन परियोजनाओं के अन्तर्गत विद्यालय विहीन गाँवों में एक ओर नए विद्यालय खोले गए वहीं दूसरी ओर समस्याग्रस्त विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया गया । राज्य में दूर–दराज के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गाँवों के समस्याग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों में तथा जहां विद्यालय नहीं है, वहां शिक्षा के सार्वजनीनकरण के उद्देश्य से वर्ष 1987–88 में शिक्षाकर्मी परियोजना का संचालन किया गया। परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 3446 शिक्षाकर्मी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षाकर्मी विद्यालयों के संदर्भित क्षेत्र में कुल बच्चों में से लगभग 99.03 प्रतिशत बच्चे शिक्षाकर्मी एवं अन्य निकटवर्ती विद्यालयों में नामांकित हैं। शिक्षाकर्मी परियोजना के अन्तर्गत बालक–बालिकाओं के लिए न केवल दिवस विद्यालय खोले गए बल्कि दिवस विद्यालय में नहीं जुड़ पा रहे बच्चों के लिए प्रहर पाठशालाओं का संचालन भी किया गया। (वर्तमान में प्रहर पाठशालाएँ नहीं चलाई जा रही हैं)।

विद्यालय विहीन गाँवों में शिक्षा की उपलब्धता हो, इसी उद्देश्य से वर्ष 1999 से राज्य में राजीव गाँधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं का संचालन किया जा रहा है। राजीव गाँधी पाठशालाएँ उन गाँवों में खोली गई, जहाँ

- गाँव में कम से कम 200 की जनसंख्या
- 6–14 आयु वर्ग के 40 या इससे अधिक बच्चे हो।
- एक किलोमीटर की परिधि में कोई स्कूल न हो।

कार्यक्रम के अन्तर्गत 20014 राजीव गाँधी पाठशालाओं का संचालन किया जा रहा है। गत वर्षों में लोक जुम्बिश परियोजना (वर्ष 1992) और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (वर्ष 1999) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिए काफी प्रयास किए गए। वर्तमान में राज्य में 13 जिलों में लोक–जुम्बिश तथा 19 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत बच्चों के नामांकन को बढ़ाने एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक गतिविधियाँ संचालित की गईं। गाँवों में राजकीय विद्यालय होने के बावजूद शिक्षा से वंचित रह रहे बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, शिक्षामित्र केन्द्रों एंव सहज शिक्षा केन्द्रों आदि वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ इन बच्चों को केन्द्रों में जोड़ने के लिए भी भरसक प्रयास किए गए। इन सब प्रयासों के बावजूद शिक्षा से वंचित रह रही किशोरी उम्र की बालिकाओं के लिए आवासीय बालिका शिक्षण शिविर चलाये गये। लोक–जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत यह शिविर 7 माह के तथा शिक्षाकर्मी परियोजना के अन्तर्गत 9 माह के चलाये जा रहे हैं। इन शिविरों में इन्हें प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करवाई जाती है।

शहरी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जनशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के बच्चे आर्थिक, सामाजिक कारणों एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता के अभाव में शिक्षा से नहीं जुड़ पाते हैं। जनशाला कार्यक्रम के अन्तर्गत इन कच्ची बस्तियों में सामुदायिक जनशालाओं संचालन किया जा रहा है ताकि वंचित बच्चों को शिक्षा से

जोड़ा जा सके। यह कार्यक्रम राज्य के चार शहरों जयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 666 राजकीय जनशालाओं तथा 191 सामुदायिक जनशालाओं का संचालन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा गत बर्षों में किए गए इन प्रयासों का काफी बेहतर परिणाम देखने को मिला है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शिक्षा से वंचित अधिकांशत बच्चे किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा से जुड़े हैं। शिक्षा का सार्वजनीनकरण हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा गाँव/ढाणी तथा शहर के बच्चों की पहुँच में हो, ताकि वे सरलता से वहाँ तक पहुँच सके। इन परियोजनाओं ने राज्य के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुँच को लाने का कार्य किया है।

1.2 **शिक्षा में गुणवत्ता सुधारः** शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना उतना ही आवश्यक व महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा का सार्वजनीनकरण करना। राज्य में संचालित इन सभी सरकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार एक प्रमुख उद्देश्य रहा हैं और इन सभी में इस हेतु अलग–अलग स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इन सभी कार्यक्रमों में विद्यालय की भौतिक सुविधा उपलब्ध कराने से शिक्षण में आनंददायी गतिविधियों के संचालन तक सभी गतिविधियाँ गुणवत्ता सुधार के अलग–अलग स्तरों में मानी व समझी जाती हैं। इन सभी में इन्हीं के मद्देनजर गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के इन उद्देश्यों के लिए इन कार्यक्रमों में विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, पठन–पाठन सामग्री की उपलब्धता, सहायक शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, आनंददायी शिक्षण विधियाँ, बालकेन्द्रित शिक्षण व्यवस्था, सृजनात्मक कार्य प्रक्रिया, बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार का होना, परिवेश से संबंधित विधाएँ व विषयवस्तु का चुनाव करना, जन सहभागिता होना, बेहतर विद्यालय प्रबंधन का होना तथा कार्य में लचीलापन आदि गतिविधियां/क्रियाकलाप आयोजित किए जाने का मत दिया जाता है। बच्चों के नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के लिए मिड–डे–मील दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया है।

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर शिक्षाकर्मी परियोजना में समय–समय पर प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं व बैठकों का आयोजन किया जाता है। इनके माध्यम से शिक्षाकर्मियों के साथ मौटे तौर पर आनंददायी शिक्षण विधा, विषयवस्तु एवं विधा आधारित, बालकेन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया, सहायक सामग्री निर्माण आदि बिन्दुओं पर काम किया जाता है। इसके लिए प्रतिवर्ष शिक्षाकर्मियों के ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कार्यक्रम में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिये शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण (20 से 30 दिन) तथा शीतकालीन प्रशिक्षण (6–10 दिन) दिये जाते हैं।

जनशाला कार्यक्रम में बालकेन्द्रित एवं आनंददायी गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवस्था, जनसहभागिता तथा कार्य में लचीलापन आदि के द्वारा गुणवत्ता सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षणों के द्वारा ऐसा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं लोक–जुम्बिश परियोजना में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए एक स्तर पर विद्यालय स्तर के भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को लेकर काम किया गया तो दूसरी तरफ अकादमिक पक्ष को लेकर काम किया गया। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार भौतिक संसाधन के स्तर पर विद्यालय भवन का व्यवस्थित होना, शिक्षकों का होना तथा आवश्यक सामग्री की उपलब्धता को लेकर काम किया जाता है। अकादमिक पक्ष को लेकर शिक्षकों के साथ बालकेन्द्रित एवं आनंददायी शिक्षण प्रक्रिया, बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने, जन सहभागिता लेने, सहायक सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोग, समूहवार शिक्षण आदि पर काम किया जाता है। यह कार्य शिक्षकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं के द्वारा किया जाता है। यह प्रशिक्षण प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाशों में आयोजित किये जाते हैं।

लोक–जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल.) को आधार मानकर शिक्षाक्रम का निर्माण किया गया था और उसे लागू कर उस पर कार्य भी किया गया था, किन्तु वर्तमान में उस पर कार्य नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य स्तरीय शिक्षाक्रम के निर्माण में एम.एल.एल. एक घटक के रूप में है।

इन दोनों कार्यक्रमों में प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय 2000 रुपये विद्यालय देखरेख तथा 500 रुपये प्रति शिक्षक के हिसाब से दिये जाते हैं ताकि विद्यालय स्तर एवं शिक्षण स्तर पर गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।

शिक्षाकर्मी के पांच विद्यालयों में बोध शिक्षा समिति द्वारा एक अध्ययन किया गया जिसमें उन्हें सरकारी विद्यालयों एवं शिक्षाकर्मी विद्यालयों में पढ़ाने के तरीकों एवं सामग्री के उपयोग आदि चीजों में कोई अन्तर नहीं लगा। बच्चों को मारना, रटन पद्धति द्वारा पढ़ाना, बच्चे को स्वतंत्र सीखने पर जोर न देना, लिंग भेद करना, बच्चों को खुद सोचने व सृजनात्मक कार्य करने के अवसर न देना आदि स्थितियां शिक्षाकर्मी विद्यालयों में देखने को मिली। उन्होंने पाया कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के सीखने का स्तर शिक्षाकर्मी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा है।

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए सभी कार्यक्रमों में समय–समय पर प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं तथा विद्यालयों में इसी प्रक्रिया से काम करने पर बल दिया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर की गई चर्चाएँ पूरी तरह से विद्यालयों तक पहुंची हों, यह स्थिति देखने को कम मिली है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुसार यह माना जाता है कि भय, दण्ड का स्थान नहीं होना चाहिए, किन्तु इन परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में बच्चों को दण्ड देना, उनकी पिटाई करना एक आम बात है। अवलोकन के दौरान शिक्षाकर्मी विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ संवेदनशील तरीके से व्यवहार तथा शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। शिक्षक विद्यालय की सफाई में बच्चों के साथ भागीदारी निभा रहे थे तथा बच्चों को गतिविधि भी करवा रहे थे। अन्य कार्यक्रमों में कक्षा अवलोकन के दौरान गतिविधियाँ, समूह चर्चा, बालकेन्द्रित कार्य प्रक्रिया, सहायक सामग्री का उपयोग आदि किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा था। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के बजाय वहाँ बच्चों को डाँटने व मारने का सिलसिला जारी था। एक कक्षा अवलोकन के दौरान शिक्षिका ने लगभग चार–पाँच बच्चों की अच्छी खासी पिटाई की। अन्य कार्यक्रमों में बच्चे शिक्षकों द्वारा निरन्तर होती पिटाई की बात को बेझिझक होकर बयान कर रहे थे। बच्चों की भागीदारी होना, समूह चर्चा होना, बच्चों द्वारा अपनी बात कहना, आदि भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के रूप में सभी परियोजनाओं में सिद्धान्त कही जाती हैं, किन्तु विद्यालय स्तर पर यह कम देखने को मिली है।

1.3 **बालिका शिक्षा के प्रयासः** राजस्थान में बालिका शिक्षा प्रारंभ से ही चर्चा का विषय रहा है। स्वतंत्रता पूर्व बालिका शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था। इस दौरान केवल समृद्ध परिवार की बालिकायें ही शिक्षा से जुड़ पाती थीं। स्वतंत्रता के बाद से बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस की गई। इसके अन्तर्गत राज्य में संचालित की जा रही अनेक शैक्षिक परियोजनाओं/कार्यक्रमों में बालिका शिक्षा को एक मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अलग–अलग स्तरों पर गतिविधियों का संचालन किया गया। राज्य में संचालित शैक्षिक परियोजनाओं में बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए गाँवों में विद्यालयों के प्रबंधन में, शिक्षिकाओं में वृद्धि करके निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था तथा बालिका शिक्षा की अलग व्यवस्था आदि सभी स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही इन सभी परियोजनाओं में सर्वप्रथम गाँव स्तरीय शिक्षा समिति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया। यह भागीदारी सभी वर्ग समुदाय की महिलाओं को जोड़ने के रूप में की गई। शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए अलग से गतिविधियाँ संचालित की गईं। शिक्षाकर्मी परियोजना में इसके अन्तर्गत महिला प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया गया, जहाँ महिला शिक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता था। समुदाय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला प्रेरक दल बनाए गए, जिनके माध्यम से समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए गतिविधियाँ की जाती थीं। इन परियोजनाओं में अनुबंध पर महिला कार्यकताओं को जोड़ा गया।

जो बालिकाऐं दिन में विद्यालय नहीं जा पाती थीं उनके लिए शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में उनकी परिस्थितियों के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों/प्रहर पाठशालाओं का संचालन किया गया। 9 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए जिला प्राथमिक

शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन–तीन माह की अवधि के ब्रिज कोर्स शुरू किए गए। शिक्षाकर्मी एवं लोक–जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए आवासीय बालिका शिक्षण शिविर शुरू किए गए। शिक्षाकर्मी परियोजना के तहत यह शिविर (शिवंबा शिविर) 9 माह की अवधि के चलाए जाते हैं, जबकि लोक–जुम्बिश परियोजना के तहत यह शिविर 7 माह की अवधि के चलाए जाते हैं। वर्तमान में शिक्षाकर्मी परियोजना के अन्तर्गत राज्य में 50 आवासीय बालिका शिविर (शिवंबा शिविर) संचालित किए जा रहे हैं। इन शिविरों से दूर–दराज के गाँवों की वे बालिकाएँ जुड़ी हुई हैं जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से नहीं जुड़ पा रही थी। इन शिविरों का उद्‌देश्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ आत्मछवि तथा आत्मविश्वास को पहचानना भी है। शिविरों में सामान्य स्वास्थ्य, प्रजननीय स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर समझ विकसित करने का प्रयास भी किया जाता है। जनशाला एवं राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कार्यक्रमों में बालिका शिक्षा हेतु अलग से कोई गतिविधि तो संचालित नहीं की जा रही है, किन्तु शिक्षा से वंचित या अनियमित रही बालिकाओं को इन विद्‌यालयों से जोड़ने का विशेष प्रयास किया जाता है।

बालिका शिक्षा इन सभी परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में है। इन परियोजनाओं में बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं गत दशक में बालिका शिक्षा में हुई वृद्‌धि के रूप में देखा जा सकता है।

इन प्रयासों के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन दर में वृद्‌धि हुई है लेकिन यदि पूर्ण नामांकन दर में बालिकाओं के नामांकन दर को देखा जाए तो यह वृद्‌धि बहुत थोड़ी सी है। 1991–92 के आंकड़ों के आधार पर नामांकन दर 31.93 प्रतिशत (सभी प्राथमिक विद्‌यालयों के बच्चों में) था तथा 1995–96 में 35.62 प्रतिशत यानि सिर्फ 3.69 प्रतिशत की वृद्‌धि।

1.4 **सामुदायिक सहभागिताः** समुदाय की भागीदारी के बिना किसी जन विकास के कार्य के स्थायित्व और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की अपेक्षा करना थोड़ा संदेहजनक है, विशेषकर शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को लेकर सरकारी दस्तावेजों में समुदाय की भागीदारी को इसी रूप में देखा गया। दस्तावेजों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं में समुदाय की भागीदारी को एक मुख्य घटक के रूप में देखा गया और शिक्षा को जन–अभियान बनाने के लिए समुदाय की भागीदारी को प्रत्येक गतिविधि में सुनिश्चित किया गया।

सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं में समुदाय को एक अहम भागीदार के रूप में देखा जाता है। विद्‌यालय के रख–रखाव, उसके प्रबंधन, बच्चों के नामांकन एवं ठहराव, विद्‌यालय में भौतिक सुविधाएँ आदि विद्‌यालय व ग्राम स्तरीय प्रत्येक गतिविधि में समुदाय की भूमिका तय की गई हैं। इस बारे में कार्यक्रम से जुड़े लोगों का मानना है कि गाँव स्तर पर किए जाने वाले कार्य की प्रगति गाँव स्तरीय समुदाय की सहभागिता के बिना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है तो उनके लिए किए जा रहे विकास कार्यों की बात उन्हें अलग रखकर नहीं की जा सकती है।

शिक्षाकर्मी परियोजना एवं राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कार्यक्रम के संचालन में समुदाय एक मुख्य आधार स्तम्भ है। इन कार्यक्रमों में गाँव के चयन से लेकर विद्‌यालय का स्थान, विद्‌यालय भवन, शिक्षक चयन, विद्‌यालय प्रबंधन आदि सभी में समुदाय की मुख्य भूमिका है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार समुदाय की पहल और समुदाय की सहभागिता से ही कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्‌यालयों का संचालन किया जाता है। विद्‌यालय भवन के निर्माण में समुदाय द्वारा अपने स्तरानुसार आर्थिक एवं शारीरिक रूप से मदद की जाती है। लोक–जुम्बिश, जनशाला कार्यक्रम एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भी विद्‌यालय भवन, उसके प्रबंधन एवं बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में समुदाय एक मुख्य भागीदार के रूप में है। इन सभी कार्यक्रमों में विद्‌यालय के बेहतर संचालन के लिए गाँव स्तर पर शिक्षा समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विद्‌यालय के शिक्षकों, समुदाय के लोगों के साथ–साथ वहाँ के जन–प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। इस समिति का कार्य विद्‌यालय स्तरीय समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए समय–समय पर ग्राम शिक्षा समिति की बैठक आयोजित किया जाना भी प्रस्तावित है।

इन कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी को जिस गहरे विचार को लेकर देखा जाता है वह एक स्तर पर तो देखा जा सकता है, मसलन ग्राम शिक्षा समिति का गठन, विद्यालय स्तरीय कार्यक्रमों में समुदाय का आना आदि। व्यावहारिक स्तर पर इनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन देखने को नहीं मिलता है। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि इन सभी परियोजनाओं में प्रत्येक गाँव स्तर पर विद्यालय प्रबंधन एवं देखरेख हेतु ग्राम शिक्षा समिति का गठन तो किया गया है, किन्तु समिति की समय–समय नियमित बैठकों के प्रति समुदाय की सक्रियता कम रहती है। समुदाय के लोगों का विद्यालय में आना मात्र विद्यालय स्तरीय स्वर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों तक ही सीमित है। शिक्षाकर्मी परियोजना एवं राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कार्यक्रम में शिक्षक एवं समुदाय के बीच तालमेल ठीक कहा जा सकता है, किन्तु अन्य कार्यक्रमों में शिक्षकों का गाँव में कम समय देना शिक्षक एवं समुदाय के मध्य दूरी पैदा करता है। शिक्षकों का मानना है कि स्वयं समुदाय द्वारा किन्हीं कार्यों को लेकर पहल की जाए, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। मदद मांगने पर ही समुदाय के कुछ लोग मदद हेतु आगे आते हैं। शिक्षक एवं समुदाय के मध्य यह संबंध एक तरफा ही समझा जा सकता है क्योंकि विद्यालय शिक्षकों द्वारा बार–बार पहल करने पर ही समुदाय के लोगों की भागीदारी हो पाती है। समुदाय द्वारा विद्यालय के खुलने तक तो काफी सक्रियता रहती है, किन्तु धीरे–धीरे यह कम होने लगती है।

गत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों को उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर समझने के बाद कहा जा सकता है कि –

- शिक्षा के सार्वजनीनकरण के उद्देश्य से 6–14 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओ के माध्यम से शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इन प्रयासों से पूरे राज्य में शिक्षा के सार्वजनीनकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। शहरी एवं दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में इन प्रयासों ने बच्चों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करवाया है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से विद्यालयों की व बच्चों के नामांकन की संख्या में वृद्धि तो हुई है लेकिन यदि इसे सम्पूर्ण रूप से शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़कर देखा जाए तो यह उपलब्धि बहुत सराहनीय नहीं कहीं जा सकती है, क्योंकि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि विद्यालयों में शिक्षकों की नियमितता कितनी है। इन विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात को देखा जाए तो यह अनुपात सरकार द्वारा स्वीकृत 1:40 की तुलना में 1:75 देखने को मिलता है, जो एक बड़े अन्तर को दर्शाता है। बच्चों के सीखने का स्तर भी बहुत गिरा है तथा प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की ड्रापआउट दर भी बहुत ज्यादा है। इन सब आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा की पहुँच बच्चों तक तो हुई है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है यह एक विचारणीय प्रश्न है?
- इन प्रयासों के अन्तर्गत बच्चों की सुविधानुसार इनके लिए औपचारिक, अनौपचारिक एवं वैकल्पिक विद्यालयों की व्यवस्था की गई और बच्चों को इनसे जोड़ने के लिये अलग–अलग गतिविधियों का संचालन किया गया है। इसके अनुसार यह तो कहा जा सकता है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा अलग–अलग प्रयास किए गए हैं जैसे यदि दिन में जो बच्चे किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते उनके लिए अनौपचारिक केन्द्र खोले गए हैं लेकिन यहां भी सवाल शिक्षा की गुणवत्ता का उठता है। तीन घण्टे में बच्चों के साथ शिक्षक सीखने–सिखाने का कितना काम कर सकता है? दूसरा सवाल इन केन्द्रों में शिक्षण कार्य करवा रहे शिक्षकों की योग्यता का उठता है, जिसमें शिक्षकों का शैक्षणिक स्तर बहुत कम है, आठवीं या दसवीं पास कहीं–कहीं तो पांचवी पास भी है। यह सीधे–सीधे उस ओर इशारा करता है कि शिक्षा के सैद्धान्तिक पक्षों की इन प्रयासों में महत्वपूर्णता नहीं होती। इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि यह प्रयास शिक्षा में गुणवत्ता को कितना महत्व देते है क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता का कहीं न कहीं संबंध शिक्षक व उसकी क्षमताओं व उसकी समझ से जुड़ा होता है। तीसरी समस्या इन केन्द्रों की यह है कि इन केन्द्रों को चलाने के लिए स्वतंत्र जगह नहीं होती। यह किसी के घर में या बरामदे में चलाए जाते हैं, जिस कारण सीखने–सिखाने का माहौल नहीं बन पाता है। दूसरी तरफ यह केन्द्र कम खर्चीले केन्द्रों के रूप में माने जाते हैं। सरकार द्वारा की गई यह व्यवस्था अस्थाई है या स्थाई? यदि यह

अस्थाई है तो उसे स्थाई औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए क्या कोई योजना है?

- बालिका शिक्षा की पिछड़ी हुई स्थिति को देखते हुए इन सभी प्रयासों में बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। इन गतिविधियों के क्रियान्वयन से बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार भी हुए हैं। लेकिन जिस स्तर पर प्रयास किये गए हैं उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बालिका शिक्षा की स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। कारण चाहे शिक्षकों की अनियमितता हो, बालिकाओं के प्रति शिक्षकों का समान व्यवहार न हो या महिला शिक्षक का न होना हो।
- इन प्रयासों में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार तथा सामुदायिक सहभागिता के लिए किए गए कार्यों से विद्यालय स्तर पर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव की दर में अपेक्षित वृद्धि देखने को मिली है। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर गतिविधियों का संचालन किया गया। इसके अन्तर्गत समय–समय पर प्रशिक्षण व कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं और विद्यालय व्यवस्था तथा कक्षाकक्ष शिक्षण को आनंददायी बनाने के लिये निरन्तर नये प्रयोग किये गये हैं। समुदाय की भागीदारी की सुनिश्चितता के बाद भी यह भागीदारी एक तरफा रह पाती है। समुदाय स्तर पर पहल हो ऐसा कम देखने को मिलता है। अभी इस स्तर पर समुदाय को और मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है।
- शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को इन सभी प्रयासों में सुनिश्चित किया गया है। और अलग–अलग स्तरों पर इसे मजबूत बनाए जाने के लिए अलग–अलग गतिविधियों का संचालन किया गया है। समुदाय की भागीदारी ने भी बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव की स्थिति को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है।
- इन प्रयासों के अन्तर्गत विद्यालय विहीन गाँवों में व्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था हुई है। इससे इन गाँवों में शिक्षा से वंचित रहे बच्चों के शिक्षा से जुड़ने के अवसर प्राप्त हुए हैं और बच्चों के नामांकन व ठहराव में वृद्धि हुई है।

2. शिक्षा की पहुँच को लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास

शिक्षा से वंचित लोगों तक शिक्षा की पहुँच के स्तर पर इस अध्ययन में आठ संस्थाओं को शामिल किया गया है। ये आठ संस्थाऐं सामान्यतः ऐसे वंचित वर्ग विशेष के साथ काम कर रही हैं जो या तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण शिक्षा से वंचित है (दूर दराज एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण) या शिक्षा की व्यवस्था होने के बाद भी सामाजिक परिस्थितियों अथवा सामाजिक व्यवस्था के दबाव के कारण शिक्षा से वंचित है। इन सभी कार्यक्रमों का कमोवेश एक मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। इस अध्ययन में चयनित आठ कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है–

क्र.	संस्था का नाम	कार्यक्रम	कार्यक्षेत्र
1.	उरमूल ज्योति	आवासीय बालिका शिविर	नोखा– बीकानेर
2.	सिकोईडिकोन	सार्थक शिक्षा केन्द्र	टोंक,मालपुरा– जयपुर
3.	प्रयास	वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम	प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़
4.	लोक शक्ति विकास संस्थान	बालिका विकास परियोजना	शिव पंचायत समिति– बाड़मेर
5.	इब्तिदा	तालीम शाला	रामगढ़, उमरैव– अलवर
6.	सार्ड	हमारा तालीम घर	डीग– भरतपुर
7.	संकल्प	जगार केन्द्र	किशनगंज, शाहबाद– बारां
8.	निर्वाण वन फाउन्डेशन	बोधि वृक्ष– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	अलवर

2.1 शिक्षा व्यवस्थाः इन आठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ऐसे वंचित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जहाँ 4–5 कि.मी. की दूरी तक किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र के इन दूर–दराज के गाँवों तक पहुँचने के लिए ना सड़क व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार के साधन की उपलब्धता है।

एक अन्य कार्यक्रम ऐसे ही वंचित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, यहाँ 3–5 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। इसके साथ–साथ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कई स्कूल ऐसे क्षेत्रों में भी चलाए जा रहे हैं जहाँ शिक्षा व्यवस्था तो है लेकिन एक समुदाय विशेष (भील/मेघवाल) के बच्चे स्कूलों में भेदभाव होने के कारण शिक्षा से वंचित थे। इस समुदाय के बच्चों के लिए भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूलों की व्यवस्था की गई है।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त तीन चयनित कार्यक्रमों का मुख्य केन्द्र वंचित समुदाय के साथ काम करना है। इन कार्यक्रमों में दो कार्यक्रमों में मेव समुदाय के साथ काम किया जा रहा है। दोनों ही कार्यक्रमों के सदस्यों का मानना है कि इस समुदाय में धार्मिक तथा अन्य दूसरे कारणों से (कृषि, घरेलू कार्य आदि) लोगों की विशेषतः महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षा के प्रति जागरूकता के अभाव में यह समुदाय आज भी शैक्षिक दृष्टि से बेहद पीछे है तथा शिक्षा से वंचित है (विशेषतः बालिकाएँ)। इनमें से एक कार्यक्रम मुख्यतः बालिकाओं के लिए ही शुरू किया गया है लेकिन दूसरे कार्यक्रम में बालक–बालिका दोनों के साथ काम किया जा रहा है। इन तीन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ऐसे समुदाय विशेष के साथ चलाया जा रहा है जो देह व्यापार का काम करता है। यह समुदाय अन्य समुदायों से एक तरह से सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। सामाजिक असमानता के कारण इस समुदाय के बच्चे शिक्षा व्यवस्था होने के बाद भी शिक्षा से नहीं जुड़ पाते हैं।

ऊपर बताए गए सभी पाँच कार्यक्रमों के अन्तर्गत 5–5½ घण्टे समयावधि के विद्यालय चलाए जा रहे हैं।

एक अन्य कार्यक्रम बारां जिले के शाहबाद तथा किशनगंज तहसील में रहने वाली सहरिया आदिम जनजाति के साथ चलाया जा रहा है। यह समुदाय आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित ज्यादातर स्कूल ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ लगभग 2–5 कि.मी. तक किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत दो तरह के स्कूल चलाए जा रहे हैं। एक दिवस स्कूल है जो 5–5½ घण्टे समयावधि के चलते हैं तथा दूसरी रात्रिशालाऐं हैं जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की तरह चलाई जाती हैं।

इनके अलावा दो कार्यक्रम विशेषतः बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। दोनों ही कार्यक्रमों का उद्‌देश्य 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करना है, जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से नहीं जुड़ पाती, चाहे वह कारण सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से हो या गाँवों में शिक्षा व्यवस्था के नहीं होने के कारण हो। इनमें एक कार्यक्रम के अर्न्तगत बालिकाओं के लिए छः माह के आवासीय शिविर लगाए जाते हैं तथा एक कार्यक्रम में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

ऐसे वंचित क्षेत्रों और समुदाय से साथ काम करते समय इन्हें कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं जैसे सबसे पहली समस्या तो इन कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण इकाई– शिक्षक को लेकर ही आती है। दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के कारण यह शिक्षक उसी गाँव से लेते हैं जहाँ स्कूल खोला जाता है। इस कारण कई बार इन्हें योग्य शिक्षक मिलने में दिक्कत आती है। दूसरी समस्या दूर–दराज के दुर्गम क्षेत्रों में काम करने के कारण आती है। यातायात के साधनों की अपर्याप्तता के कारण कार्यक्रम के अन्य सदस्यों को संवाद एवं सूचना पहुंचाने में कठिनाई आती है।

वर्तमान में इन आठ कार्यक्रमों में बच्चों का नामांकन

कार्यक्रम	नामांकन									
	लड़के					लड़कियाँ				
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
आवासीय बालिका शिविर	–	–	–	–	0	51	–	134	21	206
सार्थक शिक्षा केन्द्र	13	–	42	–	55	97	52	264	–	413
वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम	72	334	–	–	406	52	202	–	–	254
बालिका विकास परियोजना	9	–	46	–	55	22	–	39	–	61
तालीम शाला	30	–	137	–	167	27	–	766	–	793
हमारा तालीम घर	–	–	123	–	123	–	–	137	–	137
जगार केन्द्र	73	138	11	–	202	121	126	21	–	268
बोधी वृक्ष–वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	53	–	–	–	53	35	–	–	–	35
कुल	**250**	**472**	**359**	**–**	**1061**	**405**	**380**	**1361**	**21**	**2167**

नामांकन में मुख्य बात यह है कि इनमें से सात कार्यक्रम अनुसुचित जनजाति, अनुसुचित जाति, व अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ चल रहे हैं। सिर्फ एक कार्यक्रम में इन सभी वर्गों के साथ–साथ सामान्य वर्ग के बच्चे शामिल हैं।

2.2 **शिक्षा के मायनेः** शिक्षा के मायनों की अभिव्यक्ति के बिना शिक्षाक्रम की बात अधूरी लग सकती है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि पहले यह समझ लिया जाए कि संस्थाएँ शिक्षा की जरूरत को किस रूप में समझती हैं।

शिक्षा की पहुँच को लेकर काम कर रही सभी संस्थाओं में प्रमुख बात यह देखने को मिली कि यह सभी शिक्षा को समाज के विकास से जोड़ती है। उनका मानना है कि शिक्षा की जरूरत इसलिए हैं ताकि बच्चे बड़े होकर बेहतर समाज बनाने में अपनी भागीदारी निभा सके।

तीन संस्थाओं का मुख्य केन्द्र शिक्षा के माध्यम से विश्लेषण कर सकने की क्षमता का विकास करना है। उनका मानना है कि शिक्षा के माध्यम से विषयों की समझ बढ़ती है तथा इस समझ के आधार पर विश्लेषण करते हुए चीजों पर तर्क किया जा सकता है। इनमें से दो संस्थाएँ इस क्षमता को सीधे–सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ती है तथा उनका मानना है कि इस क्षमता के आधार पर इंसान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी बेहतर तरीके से निभा सकता है। एक संस्था इसे दूसरे अर्थों में स्वतंत्रता तथा समता दो जीवन मूल्यों से जोड़ कर देखती हैं।

चार संस्थाएँ शिक्षा का एक पक्ष यह मानती हैं कि इसके माध्यम से बच्चे बड़े होकर अपनी आजीविका चला सकें व आत्मनिर्भर बन सकें। इनमें से एक संस्था शिक्षा को विश्लेषण कर सकने की क्षमता से जोड़ती है।

एक संस्था शिक्षा को नैतिक मूल्यों का विकास करने की क्षमता से जोड़ती है। उसका मानना है कि नैतिक मूल्यों की मदद से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है।

सभी कार्यक्रम शिक्षा की जरूरत को समाज के लिए काम कर सकने के लिए देखती हैं लेकिन इनमें चार संस्थाऐं इस बात को स्पष्ट तरीके से नहीं बताती कि समाज के लिए काम कर पाने के मायने क्या हैं? चार संस्थाऐं शिक्षा के उद्‌देश्य को समाज के लिए काम कर सकने से इस तरह जोड़ती है कि शिक्षा से विवेकपूर्ण समझ विकसित होती है। इस समझ के आधार पर विश्लेषण कर तर्क सहित निर्णय लिए जा सकते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के लिए भी आवश्यक है।

तीन संस्थाऐं शिक्षा को आजीविका कमा सकने व आत्मनिर्भर होने से भी जोड़ती है। क्या यह बहुत ही सीमित उद्‌देश्य नहीं है? जीविका तो अशिक्षित लोग भी कमाते हैं तो फिर शिक्षा की जरूरत

क्यों? इसके पीछे भी असल चीज तो समझ विकसित करना व उसके आधार पर निर्णय लेना ही शामिल है।

एक संस्था नैतिक मूल्यों का विकास करने की क्षमता को शिक्षा से जोड़ती है। उनका मानना है इससे बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। क्या सिर्फ नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं? या आवश्यक चीज कुछ और भी है?

2.3 **शिक्षाक्रम :** आठ संस्थाओं में से पाँच संस्थाओं ने शिक्षाक्रम चुनाव करते समय इस ओर ध्यान दिया कि शिक्षाक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर उपलब्ध हों तथा बच्चे समझकर सीख सकें।

इनमें से तीन संस्थाएँ दिगन्तर द्वारा प्रकाशित तथा एक संस्था बोध शिक्षा समिति के शिक्षाक्रम को काम में लेती है। उनका मानना है कि इस शिक्षाक्रम में बच्चों को अपनी गति से सीखने की तथा अपने आप समझकर सीखने की स्वतन्त्रता दी जाती है। यह संस्थाएँ अपने स्कूलों में इन्हीं संस्थाओं द्वारा प्रकाशित शिक्षण सामग्री का ही उपयोग करती हैं। एक संस्था समाज कल्याण अनुसंधान, तिलोनिया द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम को काम में लेती है। इस पाठ्यक्रम को मुख्यतौर पर काम में लेने का कारण वह मानते हैं कि यह पाठ्यक्रम बच्चों की रूचि एवं आवश्यकताओं पर आधारित है तथा बच्चों के स्थानीय परिवेश एवं उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। दूसरा यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसमें बच्चों को अपने आप समझकर सीखने की स्वतन्त्रता है।

तीन संस्थाओं ने शिक्षाक्रम चुनाव करते समय इस ओर ध्यान दिया कि चूँकि बच्चों को आगे चलकर मुख्यधारा से जुड़ना है इसलिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित शिक्षाक्रम काम में लेना जरूरी है।

पांच कार्यक्रम जो शिक्षा के माध्यम से विश्लेषण कर सकने की क्षमता विकसित करना मानते हैं उन्होंने शिक्षाक्रम का चुनाव करते समय भी ऐसे शिक्षाक्रम का चुनाव किया जो इस क्षमता को विकसित करने में सहायक हो तथा बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर उपलब्ध कराए तथा बच्चे समझकर सीखें।

2.4 **कक्षा व्यवस्था :** इस अध्ययन के दौरान कक्षा व्यवस्था के दो पक्ष पाए गए। इनमें एक पक्ष का यह मानना है कि सभी बच्चे एक ही स्तर के नहीं होते प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता अलग–अलग होती है। बच्चे अपनी गति के अनुसार सीखते हुए आगे आते हैं। इस कारण इन्होंने प्राथमिक स्तर को वर्षों में नहीं बाँटा है। बच्चों के साथ काम करते समय ये बच्चों को कक्षावार नहीं बाँटते हैं और उन्हें उनके स्तरानुसार समूह में बाँटकर रखते हैं। यह समूह बच्चों की गति के अनुसार बदलते रहते हैं।

दूसरे पक्ष ने प्राथमिक शिक्षा को पाँच वर्षों में बाँटा है, जिसे कक्षावार व्यवस्था कहा जा सकता है। इसमें हर वर्ष बच्चों की परीक्षा होती है तथा उसी के आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाता है।

इन कार्यक्रमों में से जिन कार्यक्रमों में बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, तथा बच्चों को सीखने में गति की स्वतंत्रता दी जाती है, उन सभी कार्यक्रमों में कक्षावार शिक्षण नहीं करवाया जाता। इनमें बच्चों के साथ उनके स्तरानुसार समूहवार काम होता है। पाँच संस्थाएँ अपने चयनित कार्यक्रम में इस मान्यता पर काम करने का मत रखती हैं। इन पाँच कार्यक्रमों में से तीन कार्यक्रमों में बच्चों के साथ स्तरानुसार समूहवार काम किया जाता है। काम करते समय बच्चों के स्तरानुसार उनके अलग–अलग उपसमूह बना दिए जाते हैं तथा बच्चों के समूह उनके स्तरानुसार बदलते रहते हैं। शिक्षक उपसमूहों में बच्चों के साथ काम करता है। इन उपसमूहों में ऐसी स्थिति भी कई बार होती है जब एक बच्चा समूह के अन्य बच्चों से अलग काम कर रहा होता है। चूँकि इन कार्यक्रमों में बच्चों को सीखने में गति की स्वतंत्रता दी जाती है तो उससे स्पष्ट है कि उनके शिक्षाक्रम में परीक्षा की कोई जगह नहीं होती है। इसलिए बच्चों की कोई औपचारिक लिखित परीक्षा नहीं ली जाती। शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे के काम का अंकन किया जाता है तथा उसी के आधार पर बच्चों के लिए अगले दिन की योजना बनाई जाती है। अंकन के द्वारा ही बच्चों के सीखने

का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसी के आधार पर यह कहा जाता है कि वह क्या–क्या सीखा तथा उसे क्या–क्या समस्या आ रही है। यहाँ अंकन शिक्षक को अपने काम में मदद मिल सके इसलिए किया जाता है।

शेष दो कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। कार्यक्रम के सचिव के अनुसार उनके विद्यालयों में बच्चों के स्तरानुसार काम किया जाता है। उनका मानना है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ बच्चे होशियार, कुछ सामान्य स्तर के एवं कुछ बच्चे कमजोर स्तर के होते हैं। अतः बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं सीखने की गति के अनुसार उनके अलग–अलग समूह/वर्ग बनाकर शिक्षण करवाया जाता है। परन्तु उनके कार्यक्रम समन्वयक से बातचीत एवं कक्षा में किए गए अवलोकन के अनुसार उनके विद्यालयों में समूहवार काम होता है लेकिन बच्चों के सीखने की गति के अनुसार अलग–अलग समूह/वर्ग नहीं बनाए जाते। बच्चों को कक्षावार समूहों में बाँटा जाता है तथा एक ही शिक्षक इन सभी बच्चों के साथ आवश्यकतानुसार अलग–अलग काम करता है। बच्चों की लिखित परीक्षा ली जाती है तथा परीक्षा के अनुसार उन्हें क्रमोन्नत किया जाता है। यहाँ पाठ्यक्रम का इकाईवार विभाजन किया गया है। इसलिए प्रत्येक इकाई के खत्म होने के बाद बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसी के आधार पर शिक्षक अगली इकाई की तैयारी करता है। इन इकाईयों पर काम कर लेने के बाद यह राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को काम में लेते हैं तथा उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं।

दूसरे कार्यक्रम में समूहवार काम होता है। इसमें बच्चों को तीन समूहों में बांटकर काम किया जाता है। एक समूह में शुरूआती दौर के बच्चे होते हैं। दूसरे समूह में उनसे अगले स्तर के और तीसरे समूह में उनके अनुसार उससे आगे के स्तर के बच्चे होते है। प्रत्येक माह बच्चों का मासिक मूल्यांकन किया जाता है तथा मूल्यांकन के आधार पर बच्चों के समूह को बदला जाता है। इन बड़े समूहों के भी आवश्यकतानुसार उपसमूह बना दिए जाते हैं।

दूसरे पक्ष के अन्तर्गत तीन कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है। इनमें से एक कार्यक्रम में बच्चों के साथ समूहवार काम होता है लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा अलग है। चूंकि इस कार्यक्रम में बालिकाओं के साथ प्राथमिक स्तर तक की क्षमताओं पर काम 6–7 महीने के बीच में ही होता है। इसमें बालिकाओं के शिविर में प्रारंभ में एक बैंच मार्क मूल्यांकन कर दिया जाता है तथा उसके अनुसार उनके तीन समूह बना दिए जाते हैं। इसके बाद बालिकाओं के सप्ताहभर किए गए काम का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं को एक समूह से दूसरे समूह में क्रमोन्नत करने के लिए पूरे शिविर में पाँच बार औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है।

एक कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम को सीधे–सीधे पाँच वर्षों में कक्षा एक से पाँच तक बाँट रखा है। एक शिक्षक बच्चों के कक्षावार अलग–अलग समूह बनाकर उनके साथ काम करता है। इस पद्धति के चलते संस्था बच्चों की हर वर्ष पूरे पाठ्यक्रम की औपचारिक परीक्षा लेती है तथा उसी के आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करती है। इसके अतिरिक्त बच्चों की त्रैमासिक परीक्षाएँ भी ली जाती है तथा उसके आधार पर बच्चों के सीखने का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें एक कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ साल भर एक जैसा काम किया जाता है।

एक संस्था जो कि 9–14 आयु वर्ग के बच्चों के साथ काम कर रही है, अपने कार्यक्रम में तीन वर्षों में कक्षा एक से पाँच तक को बाँट रखा है तथा उसीके अनुसार बच्चों के साथ कक्षावार काम करती है। संस्था बच्चों का मूल्यांकन दो तरीके से करती है। पहले स्तर पर बच्चों की शैक्षिक प्रगति जानने के लिए अनौपचारिक रूप से हर माह मूल्यांकन करती है तथा मूल्यांकन के आधार पर अगले माह की कार्य योजना बनाती है। दूसरे स्तर पर वर्ष में दो बार औपचारिक तौर पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर यह पता किया जाता है कि बच्चे कौनसी कक्षा के समकक्ष पहुँच गये हैं तथा उसी के आधार पर बच्चों के साथ आगे काम करने की योजना बनाई जाती है।

इन आठ कार्यक्रमों में विद्यालय का समय तय करते समय समुदाय व बच्चों के समय का ध्यान रखा जाता है। बच्चों व समुदाय से बातचीत कर उनकी सुविधानुसार विद्यालय का समय तय किया जाता है। इन बच्चों को पढ़ने संबंधी शिक्षण सामग्री संस्था की तरफ से ही उपलब्ध कराई जाती है।

इनमें छः कार्यक्रमों में विद्यालय 5 से 5:30 घण्टे के बीच में चलते हैं। एक संस्था में चूँकि विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र है, इसलिए वह शाम को 2:30 घण्टे चलते हैं। एक संस्था के कार्यक्रम में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षा केन्द्र चलाए जाते हैं। इन संस्थाओं का मानना है कि बेहतर शिक्षण का संबंध शिक्षक छात्र अनुपात से भी होता है। अतः शिक्षक छात्र अनुपात ऐसा होना चाहिए ताकि शिक्षक प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके। इनमें से छः कार्यक्रमों में शिक्षक छात्र अनुपात 1: 30 के आसपास है। दो कार्यक्रम ऐसे हैं जहाँ शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 के आसपास है।

उपयुक्त सभी संस्थायें अपने कार्यक्रमों में कक्षा–व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं और इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से सीधे जोड़कर देखती हैं। कक्षा व्यवस्था कैसी हो इस बारे में सभी संस्थायें अपना–अपना मत रखती हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों हो इस बारे में कुछ संस्थाऐं तो इसे शिक्षा के उद्देश्यों से जोड़कर देखती हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं इस बारे में कुछ नहीं कहतीं।

2.5 **अकादमिक संबलनः** शिक्षा की पहुँच के स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं में से ज्यादातर संस्थाएँ शिक्षकों को समुदाय में से ही चुनती है। शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता एक संस्था को छोड़कर सभी में 8 से 12वीं पास होती है। सभी संस्थाओं में शिक्षकों के चयन के तुरंत बाद उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रारंभिक प्रशिक्षण की अवधि सभी संस्थाओं में अलग–अलग है। इन संस्थाओं में से चार संस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें प्रारंभिक प्रशिक्षण 30–40 दिन के बीच का होता है। तीन संस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें 20–25 दिन के बीच का होता है। एक संस्था में प्रारंभिक प्रशिक्षण की अवधि 12 दिन की होती है। इनमें तीन संस्थाओं का प्रारंभिक प्रशिक्षण के बारे में स्पष्ट नजरिया है। उनका मानना है कि प्रारंभिक प्रशिक्षणों में शिक्षा के सैद्धांतिक एंव व्यवहारिक दोनों पक्षों पर काम करना जरूरी है। इसके चलते इनके प्रारंभिक प्रशिक्षणों में शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, सीखना, शिक्षण विधि, विषयों की प्रकृति आदि मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तीनों संस्थाओं में कार्यक्रम की शुरूआत में प्रशिक्षणों में बाहर से संदर्भ्य व्यक्तियों को बुलाया जाता था। लेकिन वर्तमान में दो संस्थाएँ अपने स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण करने लगी हैं। शेष पाँच सँस्थाओं में प्रशिक्षण का मुख्य केन्द्र शिक्षण विधा क्या हो, विषयों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, सहायक शिक्षा सामग्री तथा उसके उपयोग जैसे मुद्दों पर समझ विकसित करना होता है। आरंभिक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त छः संस्थाओं द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आयोजित की जाती है।

अकादमिक संबलन का दूसरा माध्यम माह में होने वाली बैठकों के माध्यम से होता है। यह बैठकें दो कार्यक्रमों में पाक्षिक होती हैं तथा पाँच कार्यक्रमों में प्रतिमाह एक दिन या दो दिन की होती है। एक कार्यक्रम में चूँकि छः माह के शिविर चलते हैं तथा बालिकाएँ एवं शिक्षिकाएँ छः महीने शिविर में ही रहती हैं, इसलिए शिविर में काम करने वाली 6–7 शिक्षिकाएँ प्रतिदिन आपस में बैठकर किए गए काम की समीक्षा करती है। इस दौरान उन्हें जो भी समस्या आ रही होती है वह एक दूसरे की मदद से हल करने की कोशिश करती है। बाकी कार्यक्रमों में इन मासिक बैठको में शिक्षक माह में या पन्द्रह दिन में किए गए काम की समीक्षा करते हैं तथा आगे की योजना बनाते हैं। इन बैठकों में ये इन्हें आ रही समस्याओं पर चर्चा करते हैं तथा उसे हल करने की कोशिश करते हैं। इन बैठकों में शिक्षकों के साथ कार्यक्रम संबधी अन्य कार्यकर्ता भी बैठते हैं तथा समस्याओं को हल करने में एक दूसरे की मदद करते हैं।

तीसरे स्तर पर संबलन के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों में कार्यक्रम के कार्यकर्ता समय–समय पर स्कूलों का अवलोकन करते हैं। उस दौरान शिक्षकों को यदि कोई समस्या आ रही होती है तो उसे हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ कार्यक्रमों में महीने में एक या दो बार स्कूलों में जाना अनिवार्य है तथा कुछ में यह अनिवार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम में शिक्षकों को प्रतिवर्ष शैक्षिक भ्रमण भी करवाया जाता है। इसमें शिक्षक अन्य संस्थाओं में चल रहे कार्यक्रमों का भ्रमण करते हैं तथा उस कार्यक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। बेहतर लगने वाली गतिविधियों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं।

2.6 शिक्षक की भूमिका : शिक्षक एक ऐसी इकाई है जो इस सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिये शिक्षक चयन करते समय इन आठ कार्यक्रमों में से सात कार्यक्रमों में शिक्षक साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरता है व एक कार्यक्रम में शिक्षक का चयन उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार किया जाता है। इन कार्यक्रमों में से पांच कार्यक्रमों में शिक्षकों का चुनाव उसी गांव से किया जाता है जहां स्कूल खोलना होता है। इसके पीछे उनका मानना यह है कि वह ऐसे वंचित इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पर आने–जाने के साधन भी नहीं हैं। शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आये इसके लिये यह जरूरी है कि वह शिक्षक का चयन उसी गांव से ही करें जहां उन्हें स्कूल खोलना है। कुछ कार्यक्रमों में इसका दूसरा कारण समुदाय के साथ बेहतर संबंध बनाये रखने से भी जोड़ा जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समुदाय में से किसी भी व्यक्ति को शिक्षक पद के लिये चुन लिया जाता है। चयन करने से पहले व्यक्ति को साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इनमें पांच कार्यक्रमों में कम से कम आठवीं या दसवीं पास व्यक्ति को शिक्षक पद के लिये योग्य माना जाता है तथा दो कार्यक्रमों में स्नातक पास को शिक्षक पद के लिये योग्य माना जाता है।

2.7 विद्यालय और समुदाय : शिक्षा की पहुंच को लेकर काम कर रही संस्थाएं कार्यक्रम में समुदाय की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं तथा समुदाय को वह कार्यक्रम के मुख्य घटक के रूप में देखती हैं। यह सभी कार्यक्रम समुदाय से यह अपेक्षा करते हैं कि समुदाय कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाये। समुदाय कार्यक्रम को अपनी जिम्मेदारी समझे इसके लिये पांच कार्यक्रमों में प्रत्येक गांव में ग्रामीण शिक्षा समिति बना रखी है। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी यह है कि बच्चे व शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आयें। लेकिन जिन कार्यक्रमों में शिक्षा समिति नहीं बनी हुई उस कार्यक्रम के सदस्य विद्यालयों के लिये जगह की व्यवस्था के संबंध में, बच्चों की नियमितता के तथा विद्यालयों की मॉनीटरिंग एवं व्यवस्था संबंधी चीजों में समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन में सात कार्यक्रमों को समुदाय की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। एक कार्यक्रम ऐसा है जिसमें समुदाय की तरफ से सहयोग मिलने में दिक्कत आती है। चाहे वो विद्यालय के लिये जगह की व्यवस्था उपलब्ध कराने संबंधी हो या मानीटरिंग एवं व्यवस्थाओं संबंधी। समुदाय का सहयोग सिर्फ बच्चों को विद्यालय भेजने तक ही सीमित है। बच्चों को स्कूल भेजने संबंधी सहयोग के पीछे का कारण यह है कि समुदाय का यह मानना है कि बच्चे पढ़कर उनके काम (वेश्यावृति) को अच्छी तरह से चलायेंगे तथा ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। दूसरा चूंकि छोटे बच्चे महिलाओं के, व्यवसाय में बाधा डालते हैं इसलिये समुदाय बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिये भेज देता है।

एक कार्यक्रम में चूंकि बालिकाओं के लिये शिविर 5–6 महीने की अवधि के लिये चलते हैं तथा इस शिविर में बालिकाएं अलग–अलग गांव से आकर एक जगह इकट्ठी होती हैं इसलिये कार्यक्रम सदस्यों द्वारा समुदाय से सिर्फ इस सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि वह बालिकाओं को इतनी लंबी अवधि के लिये शिविर में पढ़ने के लिये भेज दें।

इन आठ कार्यक्रम में से पांच कार्यक्रमों में शिक्षकों का चयन भी उसी गांव से समुदाय से बातचीत कर किया जाता है। इस चयन प्रक्रिया में समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर शिक्षा की पहुँच को लेकर काम कर रही संस्थाओं के कार्यक्रमों के बारे में कहा जा सकता है कि–

- सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना है। जिसमें सभी कार्यक्रम काफी हद तक सफल रहे हैं।
- सभी कार्यक्रमों में यदि नामांकन को देखा जाये तो यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा से वंचित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षा से जोड़ने के लिए काम किया जाता है और विशेष रूप से लड़कियों के साथ।
- कुछ संस्थाएँ शिक्षा को विचार बनाने, तर्क करने, निर्णय लेने, व्याख्या करने की क्षमता विकसित करने से जोड़कर देखती हैं। कुछ संस्थाएँ शिक्षा को नैतिक मूल्यों के विकास करने की प्रक्रिया

से जोड़कर देखती हैं। क्या शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं तक सीमित है या कहीं इनसे अलग और कुछ भी है ? यह बिन्दु विचारणीय है।

- इन संस्थाओं में बच्चों के साथ मौटे तौर पर दो प्रकार से काम किया जा रहा है। एक बच्चों के स्तरानुसार समूह बनाकर तथा दूसरा कक्षा के अनुसार। पहले प्रकार में बच्चों को गति की स्वतंत्रता दिए जाने का विचार शामिल है। तथा दूसरे में सभी की समान गति मानकर पढ़ाए जाने का विचार शामिल है।
- सभी कार्यक्रम परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की महत्ता इसलिए अधिक हो जाती है, क्योंकि ये कार्यक्रम जिन सामाजिक, भौगोलिक एवं अन्य विषम परिस्थतियों में चलाए जा रहे हैं वहां सामान्य प्रयासों से शिक्षा की पहुंच का हो पाना अत्यन्त मुश्किल है।
- दूर दराज के क्षेत्रों में चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों ने बच्चों तक शिक्षा को पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों में बहुत से प्रयास ऐसे क्षेत्रों में किए जा रहे हैं जहां सरकारी विद्यालय की उपलब्धता के बाद भी बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे थे। संस्थाओं ने अपने प्रयासों से बच्चों को विद्यालय तक लाने में भी अहम योगदान दिया है।

3. वृहद् स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास

राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वृहद् स्तर पर काम करने वाले दो कार्यक्रमों का इस अध्ययन हेतु चयन किया गया है–

- असिफा शिक्षा परियोजना – असिफा, बाँसवाड़ा
- अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम – सेवा मन्दिर, उदयपुर

3.1 **कार्यक्रमों का उद्देश्यः** अध्ययन के लिए चयनित किये गये दोनों कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर प्रारम्भ किए गए थे–

- शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना।
- बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना।
- समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
- कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- एक कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि संस्था की वापसी के बाद समुदाय कार्यक्रम की जिम्मेदारी ले ताकि कार्यक्रम स्थाई रूप से चल सके।

3.2 **कार्य क्षेत्रः** चयनित दोनों कार्यक्रम ऐसे क्षेत्र में प्रारम्भ किये गए थे, जहाँ बड़ी संख्या में 6–14 आयु वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित थे। इसका कारण सामाजिक व आर्थिक स्थितियों के साथ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होना था। इन क्षेत्रों में पहले से दोनों संस्थाओं के अन्य कार्यक्रम चल रहे थे। चयनित दोनों कार्यक्रम समुदाय की सहमति एवं सहयोग से प्रारम्भ किए गए थे। वर्तमान में एक कार्यक्रम के अन्तर्गत एक जिले के तीन उपखण्डों के 29 गाँवों में 31 विद्यालय चलाये जा रहे हैं तथा दूसरे कार्यक्रम के अन्तर्गत दो जिलों के पॉच उपखण्डों के 170 गाँवों/ढाणियों में 174 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

3.3 **नामांकन तथा शिक्षक छात्र अनुपातः** दोनों कार्यक्रमों में अध्ययनरत बच्चों की कुल संख्या 8334 है, जिसमें 53.8 प्रतिशत बालक व 46.2 प्रतिशत बालिकायें हैं। अलग–अलग कार्यक्रमों में नामांकन की स्थिति को यदि देखा जाए तो एक कार्यक्रम में 52.8 प्रतिशत बालक व 47.2 प्रतिशत बालिकायें नामांकित हैं तथा दूसरे कार्यक्रम में 54.7 प्रतिशत बालक व 45.3 प्रतिशत बालिकायें नामांकित हैं। दोनों कार्यक्रमों में कुल नामांकन की स्थिति इस प्रकार है–

	बालक	बालिका	कुल
कार्यक्रम 1	2056	1841	3997
कार्यक्रम 2	2427	2010	4437
कुल	**4483**	**3851**	**8334**

चयनित दोनों कार्यक्रमों में शिक्षक तथा छात्रों की संख्या इस प्रकार है।

	कार्यरत शिक्षक	नामांकित बच्चे
कार्यक्रम 1	123	3897
कार्यक्रम 2	173	4437
कुल	**296**	**8334**

इस तालिका से स्पष्ट है कि एक कार्यक्रम में शिक्षक छात्र अनुपात 1:32 है तथा दूसरे कायर्यक्रम में यह अनुपात 1:25 है। वृहद् स्तर पर संचालित दोनों कार्यक्रमों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:28 है।

3.4 सहयोग का ढाँचाः दोनों ही कार्यक्रमों में सहयोग का ढाँचा लगभग एक जैसा ही है –

<u>कार्यक्रम एक</u>

कार्यक्रम समन्वयक – 1

↕

शिक्षा प्रभारी (प्रत्येक उपखण्ड पर 25–40 विद्यालय पर एक)

↕

कैपसिटी बिल्डर (10–15 विद्यालयों पर एक)

↕

अनुदेशक (प्रत्येक विद्यालय में एक)

<u>कार्यक्रम दो</u>

शिक्षा समन्वयक – 1

↓

सपोर्ट टीचर (10–15 विद्यालय पर एक)	सेक्टर इंचार्ज (समुदाय संबंधी काम के लिए प्रत्येक उपखण्ड पर एक)

↓

प्रधानाध्यापक (प्रत्येक विद्यालय पर एक)

↕

शिक्षक (प्रत्येक तीस बच्चों पर एक)

इस रेखाचित्र से स्पष्ट है कि शिक्षकों को अकादमिक, समुदाय संबंधी, विद्यालय व्यवस्था संबंधी तथा अन्य कार्यों में तीन स्तरों पर मदद उपलब्ध होती है।

- पूरे कार्यक्रम के समन्वयन व मदद के लिए एक कार्यक्रम समन्वयक/शिक्षा समन्वयक होता है। जिसकी जिम्मेदारी शिक्षकों व अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकतानुसार मदद करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना विद्यालयों में सामग्री एवं अन्य व्यवस्थायें करना तथा कार्यक्रम के बेहतर संचालन हेतु प्रयास करना होती है। चयनित कार्यक्रम के अतिरिक्त संस्था द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी अन्य कार्यक्रमों के समन्वयन की जिम्मेदारी भी इसी समन्वयक की होती है।

- दोनों कार्यक्रमों में लगभग 10–15 विद्यालयों पर एक व्यक्ति नियुक्त होता है, जो शिक्षकों को अकादमिक मदद उपलब्ध करता है। एक कार्यकम में समुदाय संबंधी मदद की जिम्मेदारी भी इसी व्यक्ति की होती है। दूसरे कार्यक्रम में इस हेतु एक अन्य व्यक्ति नियुक्त हैं। बातचीत में इन दोनों व्यक्तियों का कहना था कि उन्हें विद्यालयों में अन्य प्रशासनिक व व्यवस्था संबंधी काम भी करने होते हैं, इसलिए ये अकादमिक मदद के काम हेतु अधिक समय नहीं दे पाते हैं।

- इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम में उपखण्ड स्तर पर एक व्यक्ति नियुक्त होता है तथा दूसरे कार्यक्रम में विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक होता है। इन दोनों की जिम्मेदारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों के बेहतर संचालन हेतु प्रयास करना होती है।

  ये सभी व्यक्ति दो प्रकार से शिक्षकों की मदद करते हैं।

3.4.1 **विद्यालय में जानाः** कैपिसिटी बिल्डर तथा सपोर्ट टीचर का मुख्य काम चूँकि विद्यालयों में शिक्षकों को अकादमिक मदद उपलब्ध कराना है, इसलिए ये नियमित रूप से विद्यालयों में जाते हैं तथा आवश्यकतानुसार अवलोकन, बातचीत तथा बच्चों के साथ काम करके शिक्षकों की मदद करते हैं। दोनों ही कार्यक्रमों में ये लोग सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य विद्यालय जाते हैं तथा आवश्यकतानुसार वहाँ रहकर शिक्षकों को उनके काम में सहयोग करते हैं।

कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोग भी जरूरत के अनुसार विद्यालयों में जाते हैं लेकिन यह नियमित नहीं होता।

3.4.2 **नियमित बैठक करनाः** दोनों ही कार्यक्रमों में शिक्षकों की मदद, कार्यक्रम के बेहतर संचालन एवं शिक्षकों में परस्पर अन्तःक्रिया हेतु नियमित बैठकों का आयोजन किया जाता है। एक कार्यक्रम में यह बैठक एक दिवसीय व मासिक होती है तथा दूसरे कार्यक्रम में दो दिवसीय द्वैमासिक होती है। दोनों ही जगह इन बैठकों में काम के दौरान आने वाली समस्याओं (अकादमिक, समुदाय संबंधी व्यवस्थात्मक व अन्य), आगे काम की योजना, अकादमिक मुददों आदि पर बातचीत की जाती है।

इन बैठकों में शिक्षकों तथा कैपिसिटी बिल्डर/सपोर्ट टीचर के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोग भी भाग लेते हैं। कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए शिक्षकों के साथ होने वाली इन बैठकों के अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ता भी नियमित बैठकें करते हैं।

3.5 **शिक्षक चयनः** चयनित दोनों कार्यक्रमों में शिक्षकों का चयन उसी गाँव या आसपास के गाँव से किया जाता है, जहाँ शिक्षा केन्द्र खोला जाना होता है। शिक्षकों के चयन में संबंधित समुदाय की अहम भूमिका रहती है। यह चयन समुदाय द्वारा सुझाए गए नामों व समुदाय की सहमति से ही होता है। एक कार्यक्रम में शिक्षकों को प्रतिमाह 750 रुपये तथा दूसरे कार्यक्रम में प्रतिमाह 1000 रुपये मानदेय/वेतन के रूप में दिये जाते हैं।

दोनों कार्यक्रमों में शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी होती है। साक्षात्कार किए गए पाँच शिक्षकों में दो शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता बी.ए. थी, दो शिक्षकों की सीनियर सैकण्डरी व एक शिक्षक 9 वीं पास था।

कार्यक्रम से जुड़े लोगों के अनुसार शिक्षकों के चयन के बाद ठहराव की समस्या दोनों कार्यक्रमों में नहीं आती क्योंकि शिक्षक का चयन उसी समुदाय से किया जाता है। लेकिन पढ़े–लिखे एवं योग्य शिक्षक मिलने में दिक्कत आती है।

3.6 **क्षमतावर्धन : प्रशिक्षण/कार्यशालाः** दोनों कार्यक्रमों में केवल शिक्षकों का ही प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का कोई प्रशिक्षण नहीं होता। अन्य पदों पर अनुभवी व्यक्तियों का ही चयन होता है, जो चयन के तुरन्त बाद अपना काम प्रारंभ कर देते हैं।

दोनों ही कार्यक्रमों में शिक्षकों के चयन के तुरन्त बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। एक कार्यक्रम में यह प्रशिक्षण 10 दिवसीय होता है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण के बाद ही शिक्षकों को विद्यालय में काम करने के लिए भेजा जाता है। दूसरे कार्यक्रम में यह 15–20 दिन का होता है। यहाँ विद्यालयों में काम करते हुए ही प्रशिक्षण होता है। काम के दौरान अवलोकन करना, शिक्षण करना, आपसी बातचीत व सहायक शिक्षण सामग्री के अध्ययन द्वारा यह प्रशिक्षण किया जाता है।

प्रशिक्षण की योजना एवं क्रियान्वयन दोनों कार्यक्रमों मे संस्था स्तर पर होता है। प्रशिक्षण के लिए दोनों ही कार्यक्रमों में कोई लिखित मॉड्यूल नहीं है। काम के अनुभव एवं आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण की योजना बनाई जाती है।

दोनों कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की विषय वस्तु इस प्रकार रहती है–

- संस्था के काम करने के तरीके
- पढ़ाने के तरीके
- शिक्षण सामग्री के उपयोग के तरीके
- कार्यक्रम में समुदाय की भूमिका

3.7 **अच्छी शिक्षा के मायने तथा शिक्षा के उद्देश्यः** एक कार्यक्रम में अच्छी शिक्षा उसे कहा जाता है जो बच्चों को अच्छा नागरिक बनाए। अच्छा नागरिक वह है, जो अपने गाँव के लिए काम करे, मिल–जुलकर रहे तथा गाँव में शोषण को खत्म करने में मदद करे। इस कार्यक्रम में शिक्षा का उद्देश्य भी यही है।

दूसरे कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा की जरूरत बाहरी दुनिया के बारे में जानने, आत्मविश्वास लाने एवं सोचने का तरीका बदलने के लिए है। वहीं इस कार्यक्रम में अच्छी शिक्षा के मायने विद्यालय के भौतिक वातावरण तथा शिक्षक व बच्चों के व्यवहार से है। इस कार्यक्रम के अनुसार, ''अच्छी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि अच्छा भौतिक वातावरण (हवा, रोशनी, बैठने व खेलने की पर्याप्त व्यवस्था) हो, बच्चों व शिक्षक में काम करने की इच्छा हो, बच्चे शिक्षक को जबाव दे सकें तथा बच्चों को काम करने की स्वतंत्रता हो।''

3.8 **पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकनः** एक कार्यक्रम में प्रारंभ से ही राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों को काम में लिया जाता है। दूसरे कार्यक्रम में लगभग कक्षा तीन के स्तर से इन पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। इससे पहले इस कार्यक्रम में कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं होती। आवश्यकतानुसार बच्चों के स्तरानुसार कहानी व कविता की किताबों, सहायक शिक्षण सामग्री, वर्कशीट आदि के द्वारा काम किया जाता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के उपयोग के पीछे दोनों कार्यक्रम एक ही कारण मानते हैं कि आगे बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ा जाना है इसीलिए इन पुस्तकों को काम में लेना आवश्यक है।

दोनों कार्यक्रमों में बच्चों के मूल्यांकन के लिए दो तरीके काम में आते हैं। एक तो शिक्षक अपने स्तर पर बच्चों के काम का मूल्यांकन करते हैं जो बच्चों के लिखित व मौखिक काम के आधार पर होता है। दूसरे, एक वर्ष में दो बार औपचारिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है – एक तो लगभग सत्र के मध्य में (नव.–दिस. में) और दूसरे सत्र के अन्त में (अप्रैल–मई में)। इन दोनों परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र कार्यक्रम से बाहर से बनकर आते हैं। एक कार्यक्रम में डाइट के द्वारा बनाए गए तथा दूसरे कार्यक्रम में एक अन्य स्वयंसेवी संस्था द्वारा बनाए हुए प्रश्नपत्रों का उपयोग होता है। इन परीक्षाओं के आधार पर सत्र के अन्त में बच्चों को आगे क्रमोन्नत किया जाता है। एक कार्यक्रम में चूँकि कक्षावार विभाजन है इसलिए बच्चों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाता है। दूसरे कार्यक्रम में समूहवार विभाजन है, अतः बच्चों को अगले समूह में क्रमोन्नत किया जाता है।

3.9 **विद्यालय संचालनः** दोनों ही कार्यक्रमों में विद्यालय प्राथमिक स्तर तक हैं तथा सप्ताह में छः दिन और प्रतिदिन छः घण्टे चलते हैं। रविवार का अवकाश रहता है। विद्यालयों का प्रारंभ प्रार्थना से होता है तथा इसके बाद हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन/विज्ञान/सामाजिक ज्ञान विषयों का शिक्षण होता है।

विषय शिक्षण के अतिरिक्त होने वाली गतिविधियों में प्रार्थना के समय प्रार्थना के अतिरिक्त गीत, प्रश्नोत्तरी, बच्चों से सामान्य बातचीत आदि की जाती है लेकिन यह नियमित नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम में साप्ताहिक बालसभा का आयोजन होता है तथा एक अतिरिक्त शिक्षक जिसे सांस्कृतिक शिक्षक कहा जाता है, बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे, नाच, गान, नाटक आदि कराता हैं। दूसरे कार्यक्रम में नियमित कला का काम होता है जिसमें अधिकतर चित्र बनाने का काम किया जाता है।

एक कार्यक्रम में बच्चों का विभाजन एक से पाँच तक कक्षाओं में किया जाता है तथा एक कक्षा के सभी बच्चों के साथ एक ही प्रकार का काम होता है। यहाँ अलग–अलग कक्षाओं के साथ काम करने के लिए अलग–अलग शिक्षक होते हैं।

दूसरे कार्यक्रम में बच्चों को उनके स्तर के अनुसार तीन समूहों में बाँटा जाता है, एक समूह में बच्चे लगभग कक्षा एक के स्तर के, दूसरे समूह में कक्षा दो के स्तर के तथा तीसरे समूह में कक्षा तीन से पाँच तक के स्तर के होते हैं। एक ही शिक्षक इन तीनों समूहों के साथ काम करता है। यहाँ बच्चे पूरे वर्ष एक ही समूह में रहते हैं तथा औपचारिक परीक्षा के बाद अगले वर्ष बड़े स्तर वाले समूह में चले जाते हैं। यहाँ बच्चों के साथ उनके स्तर व गति के अनुसार अलग–अलग काम किया जाता है।

दोनों कार्यक्रमों में बच्चों को शिक्षण सामग्री (पुस्तक, कॉपी, पेपर, पेन्सिल तथा अन्य सामग्री) विद्यालय से निःशुल्क दी जाती है, जिसे बच्चे शाम को विद्यालय की छुट्टी के बाद अपने घर ले जाते हैं तथा सुबह लेकर आते हैं। यह इसलिए होता है ताकि बच्चे घर पर भी पढ़ सकें व विद्यालय की ओर से दिया गया काम कर सकें।

दोनों ही कार्यक्रमों में बच्चों से शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि ली जाती है जो एक कार्यक्रम में 50 रुपये वार्षिक तथा दूसरे कार्यक्रम में बच्चों की आर्थिक स्थिति के अनुसार ली जाती है। संस्था कार्यकर्ताओं के अनुसार इसका उद्देश्य समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी को विद्यालय में सुनिश्चित करना है।

3.10 **कक्षा शिक्षणः** अध्ययन के दौरान दोनों कार्यक्रमों में एक–एक विद्यालय में कक्षा शिक्षण का भी अवलोकन किया गया था। कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा का माहौल सहज था तथा बच्चे अपना काम आराम से कर रहे थे। दोनों ही कक्षा अवलोकनों में बच्चों ने ना तो कोई प्रश्न पूछा, ना ही किसी काम को करने की पहल की। शिक्षक ने भी इस तरह का कोई अवसर बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया। पूरे शिक्षण के दौरान बच्चे या तो शिक्षक द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब देते रहे थे या शिक्षक द्वारा बताया गया काम कर रहे थे। शिक्षक और बच्चों की बातचीत भी इसी तरह की थी कि शिक्षक प्रश्न पूछता व बच्चे उसका उत्तर देते। पूरे अवलोकन में शिक्षक ने ना तो किसी बच्चे को डाँटा और ना ही मारा लेकिन दोनों जगह बच्चों का बातचीत में कहना था कि काम नहीं करने अथवा प्रश्नों के उत्तर ना देने पर शिक्षक डाँटते और मारते हैं।

दोनों कक्षा शिक्षण में शिक्षक ने शिक्षण के दौरान बच्चों को भी शामिल किया। शिक्षक बच्चों को प्रश्नों के माध्यम से पाठ में शामिल कर रहा था और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था।

3.11 **समुदाय की भूमिकाः** दोनों ही कार्यक्रमों में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं में देखा जा सकता है–

- दोनों कार्यक्रमों में ग्राम स्तरीय शिक्षा समिति बनी हुई है जो विद्यालयों के विकास एवं समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाती है।
- शिक्षकों का चयन दोनों कार्यक्रमों में उसी समुदाय से तथा समुदाय की सहमति से होता है।
- समुदाय में सहयोग को बढ़ाने के लिए बच्चों से एक निश्चित राशि शुल्क के रूप में ली जाती है।
- बच्चों के नियमित विद्यालय आने, विद्यालय मरम्मत, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों आदि में भी समुदाय सहयोग करता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वृहद स्तर पर काम करने वाले दोनों कार्यक्रमों का निम्नलिखित बिन्दुओं में विश्लेषण किया जा सकता है–

- दोनों ही कार्यक्रम शिक्षा में वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने तथा समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य में काफी हद तक सफल रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम से एक बड़ी संख्या में बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं तथा समुदाय का भी इन कार्यक्रमों में निरन्तर सहयोग मिल रहा है।

- काफी बड़े क्षेत्र में काम करने के बावजूद कार्यक्रम का संचालन अच्छे तरीके से किया जा रहा है। कार्यक्रमों में सहयोग का ढाँचा इस बात की पुष्टि करता है।

- शिक्षक छात्र अनुपात दोनों कार्यक्रमों में लगभग 1:30 का है, जो उचित है। इससे अधिक बच्चे होने पर शिक्षण तथा शिक्षक व छात्रों के बीच अन्तःक्रिया में दिक्कत होती है।

- एक कार्यक्रम में अच्छी शिक्षा को भौतिक वातावरण तथा शिक्षक व बच्चों के व्यवहार से जोड़ा जाता है। क्या अच्छा भौतिक वातारण अच्छी शिक्षा की आवश्यक शर्त है? शिक्षक व बच्चों के व्यवहार का निर्धारण किस आधार पर हो? इसके बारे में इस कार्यक्रम में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरे कार्यक्रम में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक बनाना है जो अपने गाँव की बेहतरी के लिए काम करे। गाँव से बाहर दुनिया से अन्तःक्रिया के विषय में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है? इस विषय में यह कार्यक्रम कुछ नहीं कहता।

- दोनों ही कार्यक्रम के शिक्षा के उद्देश्यों में चिन्तन करना, काम करने तथा निर्णय लेने में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना निहित है क्योंकि इसके बिना उनके शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। लेकिन कक्षा शिक्षण में इस ओर किए गए प्रयासों की कहीं झलक नहीं मिलती। पूरे अवलोकन में बच्चे शिक्षक के निर्देशों का ही पालन कर रहे थे चाहे वो प्रश्नों के उत्तर देने के रूप में हो अथवा स्वयं पाठ पढ़ने के रूप में। उपरोक्त क्षमताओं के विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षण में बच्चों को इस प्रकार की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाएँ जहाँ किसी और के निर्देशों का अनुसरण करने के स्थान पर उन्हें स्वयं सोचकर निर्णय लेना पड़े तथा काम करना पडे, लेकिन इस तरह की स्थितियाँ कक्षा शिक्षण में दिखाई नहीं देती।

- प्रशिक्षण की महत्ता से दोनों ही कार्यक्रम सहमत हैं इसलिए दोनों कार्यक्रमों में चयन के बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षणों में फोकस इस पर होता है कि विद्यालयों में कैसे काम किया जाना है? विद्यालय व कक्षा कक्ष के माहौल तथा किस तरह काम करना है, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? दोनों कार्यक्रमों के प्रशिक्षण में इनके आपसी संबंध पर कोई काम नहीं होता।

- दोनों कार्यक्रमों में शिक्षकों को जो मदद उपलब्ध होती है, उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। दोनों कार्यक्रमों में मदद के लिए मुख्य जिम्मेदारी कैपिसिटी बिल्डर/सपोर्ट टीचर की होती है। अलग–अलग जगहों पर स्थित 10–15 विद्यालयों में सात दिन में एक बार जाकर एक व्यक्ति मदद के लिए कितना समय दे सकता है यह एक विचारणीय प्रश्न है जबकि उसे अन्य व्यवस्था संबंधी व प्रशासनिक काम भी करने हों।

- पाठयक्रम, पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम होते हैं। दोनों कार्यक्रम राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल की पुस्तकों को काम में लेने का कारण बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना मानते हैं। इनके चयन में शिक्षा के उद्देश्यों की क्या भूमिका है? इसके बारे में कार्यक्रम कुछ नहीं कहते।

- यह बात सही है कि शिक्षकों का चयन संबंधित समुदाय में से करने पर समुदाय की भागीदारी में वृद्धि होती है तथा शिक्षक के ठहराव की समस्या नहीं रहती लेकिन योग्य शिक्षकों का चयन ज्यादा महत्वपूर्ण है अथवा समुदाय की भागीदारी? ठहराव की समस्या के लिए शिक्षक का उसी गाँव में रहना अनिवार्य किया जा सकता है, जहाँ विद्यालय चल रहा हो।

4. शैक्षिक चिन्तन व प्रयोग के स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास

शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे शैक्षिक चिन्तन और नए प्रयोगों की पहल में स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन संस्थाओं में से कुछ संस्थाओं द्वारा अपने शैक्षिक प्रयासों में सरकार के द्वारा निर्धारित शिक्षा के किसी मॉडल या उस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किसी मॉडल का अनुसरण किया गया तथा कुछ संस्थाओं द्वारा शिक्षा के अर्थ तथा शिक्षा के उद्देश्यों को अपने नजरिए से देखने की पहल की गई और उसके अनुसार काम किया गया। इस अध्ययन में शैक्षिक चिन्तन और स्वयं के द्वारा प्रयोग नए प्रयोगों के

स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के रूप में पन्द्रह में से पाँच संस्थाओं को शामिल किया गया। इन संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था के किसी एक कार्यक्रम को देखने व समझने का प्रयास किया गया।
ये चयनित कार्यक्रम इस प्रकार हैं –

क्रम	संस्था का नाम	चयनित कार्यक्रम / गतिविधि	कार्यक्षेत्र
1.	बोध शिक्षा समिति	शिक्षक पहल कार्यक्रम में सामुदायिक बोधशाला	उमरैण, अलवर
2.	कल्प	पहचान परियोजना में पहचान शाला	चाकसू, जयपुर
3.	प्रथम	पढ़ने के लिए सीखना (ब्रिज कोर्स)	जयपुर शहर, किशनगढ़
4.	संभव	नाटक से पाठ्यक्रम	वर्तमान में क्रियान्वित नहीं
5.	दिगन्तर	पहचान परियोजना में पहचान शाला	फागी, जयपुर

इन संस्थाओं के शैक्षिक विचार और प्रयोगों को निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समझने का प्रयास किया जा सकता है –

1. शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य
2. बच्चों का सीखना और शिक्षक की भूमिका
3. शिक्षाक्रम और पाठ्यपुस्तक
4. विद्यालय और समुदाय
5. अकादमिक संबलन

4.1 **शिक्षा का अर्थ और उद्देश्यः** शिक्षा के अर्थ और उसके उद्देश्यों के बारे में इन पाँच संस्थाओं में से तीन संस्थाओं का अपना एक स्पष्ट नजरिया है और इसी नजरिए को आधार मानकर ये इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है। शिक्षा के अर्थ और उसके उद्देश्यों में इंसान और समाज को मुख्य आधार मानकर देखती हैं। इनका मानना है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो जीवनपर्यन्त चलती है। पढ़ना–लिखना मात्र इसका एक पक्ष है।

तीनों संस्थाएँ प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को बच्चों को आगे सतत रूप से सीखने में प्रवृत्त करने, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने, सीखने की आधारभूत क्षमताएँ विकसित करने, तथा उन्हें स्वतंत्र व स्वप्रेरित होकर सीखने में मदद करने के रूप में देखती हैं। इनका मानना है कि इंसान में ज्ञान अर्जन के लिए जन्मजात क्षमताएँ होती हैं और शिक्षा इन्हें विकसित करने में मदद करती है। शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में एक संस्था का मानना है कि

- मानवीय व भौतिक जगत की सुसंगत समझ का विकास कर पाना।
- संवेदना व मूल्यों का विकास कर पाना तथा
- विचारों को क्रियान्वित किए जाने वाले कौशलों का विकास कर पाना तथा उन्हें कर्म रूप में परिवर्तित करने की सामर्थ्य विकसित कर पाना

शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए और इन्हीं के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। संस्था शिक्षा को न्यायपूर्ण, समतावादी लोकतांत्रिक एवं बहुसांस्कृतिक समाज बनाने का एक मुख्य जरिया मानती है और संस्था इसी शैक्षिक नजरिए को आधार मानकर बच्चों के साथ शिक्षण कार्य को देखती है।

शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर एक अन्य संस्था का मानना है कि शिक्षा का एक ऐसा प्रतिरूप तैयार हो जो जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो और जिसके संगठनात्मक स्वरूप एवं प्रक्रियाओं में स्वतंत्रता तथा विश्वास की अवधारणा पूर्ण रूप से स्थापित हो। संस्था समतावादी, प्रगतिशील और प्रबोध समाज के निर्माण में शिक्षा को मुख्य उद्देश्य के रूप में देखती है। शिक्षा के इन उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए संस्था ने अपना एक मॉडल तैयार किया है। जिसमें मुख्य बिन्दू है –

- बच्चों को सम्पूर्ण जगत से संबंधित समग्र व समेकित शिक्षा देना जिसमें उनकी रूचियाँ, आकांक्षाएं, विचार, क्षमताएँ व भावनाएँ शामिल हो।
- शिक्षा प्रभावी व प्रासंगिक आकर्षक गतिविधियों पर आधारित हो, जिसमें बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो सके और अपने घर को छोड़कर विद्यालय जा सके। बच्चे आपसी सहयोग से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो।

- बच्चों के अभिभावकों व समुदाय के विचारों में बदलाव लाकर बच्चों के सामाजिक वातावरण में बदलाव लाया जा सके।
- बच्चों में समझ, ज्ञान, मूल्य और आदतों का विकास विवेकी वार्तालाप पर आधारित हो।
- विकासशील मानसिक क्षमता, तर्कसंगत दृष्टिकोण, प्रजातांत्रिक धारणा व मानव चेतना पर ध्यान केन्द्रित हो।
- मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक रूप से सुरक्षित व सुनिश्चित करने वाली सारी गतिविधियों का केन्द्र बच्चे का माना जाए।

तीसरी संस्था के अनुसार शिक्षा इंसानी जीवन की अनिवार्यता है, जिसे समाज में रहकर ही सीखा जा सकता है। शिक्षा के उद्‌देश्य के बारे में इस संस्था का मानना है कि शिक्षा इंसान में सामाजिकता, सृजनात्मकता, नैतिकता, विश्लेषण करने की, चिन्तन करने की तथा निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। सोचने, समझने, विचार करने, निर्णय लेने, अच्छा–बुरा आदि को समझकर स्वयं के स्तर पर निर्णय ले पाने की सामर्थ्य पैदा करना शिक्षा का उद्‌देश्य है। संस्था का अपना कोई शिक्षा का मॉडल तैयार नहीं है, किन्तु मोटे तौर पर संस्था इन्हीं सिद्धान्तों को आधार मानकर काम करने का मत रखती है।

शेष दो संस्थाएँ शिक्षा के अर्थ व उद्‌देश्यों को जीवन को बेहतर तरीके से जीने के साथ जोड़कर देखती है। दोनों संस्थाएँ मानती है कि प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़े और पढ़ना–लिखना बेहतर सीखे। इनमें से एक संस्था सामूहिक कार्य प्रणाली और सामूहिक प्रयास की भावना के विकास तथा समाज में लिंग, जाति तथा वर्ग असमानता में समानता लाने को शिक्षा के उद्‌देश्यों के रूप में देखती है। दूसरी संस्था का शिक्षा के उद्‌देश्य के बारे में मानना है कि प्रत्येक बच्चा स्कूल में हो और बेहतर सीखें। इन संस्थाओं का अपना तैयार किया कोई शिक्षा मॉडल नहीं है। ये दोनों संस्थाएँ बच्चों के साथ सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को लेकर अपने प्रयास कर रही है।

4.2 **बच्चों का सीखना और शिक्षक की भूमिकाः** विद्‌यालय और शिक्षण व्यवस्था में बच्चों एवं शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। यह व्यवस्था बच्चों के सीखने तथा शिक्षक की भूमिका को आप जिस नजरिए से देखते हैं उस पर निर्भर करती है। बच्चों के सीखने और शिक्षक की भूमिका के बारे में पाँच संस्थाओं में से दो संस्थाएँ एक जैसा नजरिया रखती है। इन दोनों संस्थाओं का मानना है कि–

- सीखने में बच्चों के पूर्व ज्ञान व अनुभव का उपयोग किया जाए।
- सीखना बच्चों के परिवेश से संबंधित हो।
- सीखने में बच्चों को गति की स्वतंत्रता हो।
- शिक्षण कार्य में कक्षीय व्यवस्था न हो, बल्कि स्तरानुसार शिक्षण कार्य हो।
- शिक्षक एक मददकर्त्ता के रूप में हो। जो बच्चों की जरूरतों एवं अभावों को पूरा करने में मदद करें तथा बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर उपलब्ध कराएँ।

अवलोकन के दौरान इन संस्थाओं द्वारा संचालित विद्‌यालय/शिक्षाकेन्द्र में बच्चे कक्षीय व्यवस्था में न बैठकर अपने–अपने स्तरानुसार अलग–अलग उपसमूहों में बैठे थे। शिक्षक/शिक्षिका एक बड़े समूह में काम कर रहा था, जहाँ अलग–अलग उपसमूह बने थे। शिक्षक/शिक्षिका के अनुसार बच्चों के साथ काम उनके स्तर के अनुसार व गति को ध्यान में रखकर किया जा रहा था। उनके पास प्रत्येक बच्चे की कार्ययोजना थी, जिसे आधार मानकर उसके साथ काम किया जा रहा था।

शिक्षक/शिक्षिका प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे की योजना बनाते हैं तथा शिक्षण कार्य के पश्चात प्रत्येक बच्चे का अंकन करते हैं। उसी के आधार पर बच्चों की आगे की योजना बनाते हैं।

उपसमूहों में शिक्षक बार–बार जाकर बच्चों को निर्देशित कर रहा था और उनकी मदद कर रहा था। बच्चे वर्कशीट पर काम कर रहे थे। काम करने के दौरान व शिक्षण सामग्री का भी उपयोग कर रहे थे।

शिक्षण कार्य के दौरान वहाँ का माहौल बहुत सहज था। बच्चे बार–बार शिक्षक/शिक्षिका को अपने पास बुलाकर कुछ–कुछ पूछ रहे थे तथा किया काम दिखा रहे थे। काम ठीक नहीं होने पर शिक्षक पुनः करने को कहता और बच्चे उसे दुबारा करके दिखाते। बच्चे शिक्षक को बहुत सहज होकर बुला रहे थे।

एक संस्था का मानना है कि बच्चों के साथ कार्य प्रक्रिया अन्तःक्रियाओं पर आधारित हो तथा ऐसी गतिविधियाँ बच्चों के साथ की जाए जो उनकी जन्मजात क्षमताओं को विकसित करने में सहायक हो। यह संस्था भी बच्चों के स्तरानुसार एवं गति की स्वतंत्रता के साथ शिक्षण कार्य करवाए जाने का विचार रखती है। संस्था का मानना है कि बच्चे सीखने में आनंद महसूस करें तथा सीखा हुआ तुलनात्मक रूप से स्थायी हो, सीखने में बच्चे अपने साथियों की मदद करें तथा चीजों को अपने ढ़ंग से व स्वयं के प्रयासों से समझने की कोशिश करें।

संस्था के अवलोकन के दौरान बच्चे (बालिकाएँ) तीन समूह में बैठे थे। शिक्षक/शिक्षिका के अनुसार उनमें से एक समूह कक्षा–1 के समकक्ष था, दूसरा समूह कक्षा–3 च तीसरा समूह कक्षा–4 के समकक्ष था। शिक्षक उनके साथ इन्हीं तीन समूहों में काम करवा रहा था। एक समूह की बालिकाएँ लगभग एक जैसा काम कर रही थी। कार्ययोजना के रूप में शिक्षिका के पास समूहवार ही योजना थी, जिसके अनुसार वह काम कर रही थी।

एक संस्था जो कि शहर की कच्ची बस्तियों के बच्चों के साथ काम कर रही है। बच्चों को एक साथ लेकर काम शुरू करती है। यह संस्था बच्चों के सीखने को लेकर तो कोई स्पष्ट मत नहीं देती है। संस्था बच्चों के साथ शिक्षण कार्य प्रक्रिया को लेकर अपना प्रयोग कर रही है। यहाँ बच्चों का कक्षावार कोई विभाग नहीं होता है। शिक्षक सभी बच्चों को एक साथ लेकर काम करता है। इन बच्चों का आरंभिक मूल्यांकन कर पाँच स्तरों में बाँटा जाता है और उसके अनुसार उनके साथ शिक्षण कार्य करवाया जाता है। ये स्तर कुछ नहीं पढ़ पाना, वर्ण पहचान कर पढ़ पाना, शब्द पढ़ पाना, सरल वाक्य पढ़ पाना तथा धाराप्रवाह पढ़ पाना होते हैं। शिक्षक/शिक्षिका इन्हीं स्तरों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवा रहे थे। शिक्षक काम के दौरान सहायक सामग्री का उपयोग कर रहा था। सामग्री के रूप में हिन्दी व गणित की सामग्री उपलब्ध थी।

एक संख्या बच्चों के सीखने तथा शिक्षक की भूमिका को लेकर कोई सैद्धांतिक मत नहीं देती है। यह संस्था पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु को नाटक के रूप में प्रस्तुत करती है और नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है। इस प्रस्तुति में बच्चों की पूरी भागीदारी होती हे। बच्चे भी नाटक में भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में यह बच्चों की भागीदारी को मुख्य मानते हैं और शिक्षक को एक मददकर्ता के रूप में देखते हैं। अवलोकन के दौरान भी सजीव – निर्जीव विषयवस्तु को समझाने के लिए नाटक किया जा रहा था। कुछ बच्चे नाटक में अभिनय कर रहे थे। शेष नाटक देख रहे थे। शिक्षक बच्चों को दिशा निर्देश दे रहा था। शिक्षक से बात करने पर शिक्षक ने बताा कि नाटक की पूरी तैयारी करने के बाद इसे प्रस्तुत किया गया है और तैयारी में भी बच्चों ने भागीदारी निभाई है।

चार संख्याऐं सामान्य रूप से शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक–छात्र अनुपात को 25 से 30 के मध्य मानती है। इस बारे में इनका मानना है कि एक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा 30 बच्चों के साथ ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है। इन संख्याओं द्वारा संचालित शिक्षा केन्द्रों/विद्यालयों में सामान्यतः एक शिक्षक/शिक्षिका के पास 20 से 30 का औसत ही देखने को मिला। एक संस्था जो कि कक्षावार काम करती है, कक्षा के बच्चों को समूहों में वितरित नहीं करती है, सभी के साथ एक साथ काम करती है। विषयवस्तु को समझाने के लिए तैयार नाटक में संस्था कुछ बच्चों को ही नाटक में जोड़ पाती है शेष बच्चे दर्शक के रूप में होते हैं।

4.3 **शिक्षाक्रम एवं पाठ्यपुस्तकः** शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, प्राथमिक स्तर तक का पाठ्यक्रम, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण प्रक्रिया, सहभागी क्रियाएँ, मूल्यांकन प्रक्रिया, कार्य योजना आदि के क्रियान्वयन का एक व्यवस्थित दस्तावेज शिक्षाक्रम है। चयनित पाँच संस्थाओं में से दो संस्थाओं का अपना तैयार किया हुआ शिक्षाक्रम है। इन संस्थाओं के चयनित कार्यक्रम में इसी शिक्षाक्रम को आधार मानकर कार्य किया जा रहा है। इनमें से एक संस्था द्वारा इस शिक्षाक्रम को आधार मानकर प्राथमिक स्तर तक का पूरा शिक्षण पैकेज तैयार किया हुआ है। यह संस्था किन्हीं निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के

उपयोग से सहमत नहीं है। संस्था का मानना है कि निर्धारित पाठ्यपुस्तकें शिक्षक व बच्चों को एक निश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास करती है और उन्हें कुछ गिनी–चुनी किताबों से ही बाँधने की कोशिश करती है। संस्था स्वयं शिक्षण कार्य में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का उपयोग नहीं करती है। इसके लिए संस्था विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग करती है। इस सामग्री में कई प्रकार की सहायक पुस्तकें होती हैं।

दूसरी संस्था द्वारा अपने शिक्षाक्रम को आधार मानकर प्राथमिक स्तर के प्रारंभिक तीन वर्षों तक का शिक्षण पैकेज तैयार किया हुआ है। संस्था द्वारा प्रथम तीन वर्षों के लिए पाठ्य सामग्री बनाई गई है और इसका उपयोग चयनित कार्यक्रम में कर रही है। संस्था शिक्षण कार्य में इन पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि इनके अतिरिक्त अन्य सहायक पुस्तकों का उपयोग भी करती है।

इन दोनों संस्थाओं का मानना है कि शिक्षाक्रम को आधार मानकर ही प्राथमिक स्तर के लिए यह शिक्षण पैकेज तैयार किया गया है। दोनों संस्थाएँ स्वयं के शिक्षाक्रम के साथ–साथ राज्य व केन्द्र सरकार के शिक्षाक्रम के तहत निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का भी उपयोग करती है। इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कक्षा–4 व कक्षा–5 के समकक्ष बच्चों के लिए किया जाता है।

इनके अतिरिक्त तीन संस्थाओं द्वारा राजकीय विद्यालयों में क्रियान्वित किए जा रहे शिक्षाक्रम को आधार मानकर काम किया जाता है। इनमें से दो संस्थाओं द्वारा बच्चों को पढ़ना –लिखना सिखाने के लिए शुरूआती स्तर पर अपनी पाठ्य सामग्री तैयार की हुई है। इनमें से एक संस्था द्वारा इस शिक्षाक्रम को कार्यक्रम की जरूरत के आधार पर (9–14 आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए) इस शिक्षाक्रम में आवश्यक बदलाव करके काम में लिया जा रहा है। कार्यक्रम में जुड़े बच्चों (बालिकाओं) की उम्र के अनुसार पाठ्यपुस्तकों का अपना पैकेज बनाया हुआ है और उसी के अनुसार कार्य कर रही है। यह पैकेज क्षमताओं को ध्यान में रखता है और क्षेत्र की परिस्थिति व परिवेश के अनुसार तैयार किया हुआ है। संस्था अपनी पाठ्यसामग्री के साथ–साथ राजकीय विद्यालयों में संचालित कक्षा–1 से कक्षा–4 तक की पुस्तकों में से आवश्यक सामग्री का भी उपयोग कर रही है। दूसरी संस्था अपने कार्यक्रम में राजकीय विद्यालयों के बच्चों के साथ पाठ्यपुस्तकों में निहित विषयवस्तु को नाटक के माध्यम से समझाने का काम करती है। संस्था द्वारा संचालित यह कार्यक्रम कक्षाकक्ष शिक्षण प्रक्रिया में एक प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है।

एक संस्था अपने कार्यक्रम में किसी एक शिक्षाक्रम का जिक्र नहीं करती है। संस्था इस कार्यक्रम (सीखने के लिए पढ़ना) में अपने द्वारा तैयार शिक्षण पैकेज का उपयोग करती है। संस्था दो माह(45 कार्य दिवस) की अवधि में पढ़ना–लिखना सिखाने के लिए तैयार शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण विधा की मुख्य भूमिका मानती है। बातचीत के दौरान कार्यक्रम समन्वयक का कहना था कि "बच्चे इस प्रकार सीख जाते हैं। हमने बच्चों के साथ करके देखा है। कैसे सीखते हैं? यह हमें नहीं पता।" इन दोनों संस्थाओं के अतिरिक्त तीन संस्थाओं द्वारा मुख्य रूप से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित शिक्षाक्रम को ही आधार मानकर काम किया जाता है।

4.4 **विद्यालय और समुदाय** : शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को संस्थाएँ एक मुख्य घटक के रूप में देखती है। इनका मानना है कि समुदाय की भागीदारी के अभाव में गाँव स्तर पर शिक्षा का सार्वजनीनकरण कर पाना या शिक्षा के प्रति सकारात्मक बदलाव ला पाना कठिन है। पाँचों संस्थाएँ अपने शैक्षिक नजरिए में समुदाय की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानती है और समुदाय की मदद से ही शिक्षा की स्थिति में बदलाव को देखती हैं। ये संस्थाएँ समुदाय की भागीदारी को गाँव में संचालित विद्यालय/शिक्षा केन्द्र के स्थान चयन, उसकी व्यवस्था, उसके प्रबंधन, बच्चों के नामांकन एवं ठहराव तथा विद्यालय स्तर पर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी के रूप में भी देखती है। एक संस्था समुदाय की भागीदारी को विद्यालय के प्रबंधन, बच्चों के नामांकन व ठहराव से आगे शिक्षण कार्यों में भागीदारी के रूप में भी देखती है। इस संस्था का यह भी मानना है कि प्रारंभिक स्तर पर समुदाय इस प्रकार की भागीदारी नहीं निभाए, किन्तु धीरे–धीरे इन कार्यों में अपनी भागीदारी निभाने की ओर अग्रसर हो सकता है।

पाँच संस्थाओं में से चार संस्थाओं के अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यालय/शिक्षाकेन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। एक संस्था प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु को नाटक के माध्यम से

पढ़ाए जाने पर काम करती है। संस्था का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों में निहित विषयवस्तु में से 30 प्रतिशत विषयवस्तु का नाटक के माध्यम से सरल व सहज तरीके से शिक्षण करवाया जा सकता है। वर्तमान में इसके अन्तर्गत संस्था द्वारा किसी विद्यालय/शिक्षाकेन्द्र का संचालन नहीं किया जा रहा है। संस्था द्वारा मुख्य रूप से कक्षा कक्ष शिक्षण को लेकर ही काम किया जाता है। समुदाय स्तर पर संस्था द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया जाता है।

इन संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं एवं समुदाय के साथ की गई बातचीत से स्पष्ट होता है कि उक्त चारों संस्थाओं में समुदाय की भागीदारी विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबंधन तक ही सीमित रहती है। इन सब कार्यों के लिए प्रत्येक गाँव स्तर पर एक शिक्षा समिति का गठन किया गया है। यह शिक्षा समिति विद्यालय/शिक्षाकेन्द्र की देखरेख, व्यवस्था, बच्चों के नामांकन व ठहराव, संसाधनों की व्यवस्था करने तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करती है। इस समिति में समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ–साथ स्थानीय जन प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। विद्यालय के बेहतर क्रियान्वन के लिए प्रति दो या तीन माह में समिति की एक बैठक आयोजित की जाती है जो कि इनकी कार्य योजना में प्रस्तावित होती है। इन संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति की बैठक तय योजना के अन्तर्गत नियमित आयोजित तो होती है, किन्तु इन बैठकों में गिने–चुने सदस्य ही उपस्थित होते हैं।

इनमें से एक संस्था ग्राम शिक्षा समिति की भागीदारी को मात्र इस कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं मानती है। संस्था अपने शैक्षिक नजरिए में समुदाय को अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखती है। संस्था का मानना है कि समुदाय इस प्रकार के कार्यक्रमों पर ही निर्भर नहीं रहे, बल्कि कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी स्वयं के प्रयासों से इन विद्यालयों/शिक्षाकेन्दों का संचालन कर सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव स्तर पर बनाए गए पक्के भवन समुदाय की मदद का परिणाम है। संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम (शिक्षक पहल) के अन्तर्गत संचालित 11 विद्यालयों/शिक्षाकेन्द्रों में से 9 शिक्षा केन्द्रों के पक्के भवन हैं, जो समुदाय की मदद से बनाए गए हैं। संस्था प्रतिवर्ष समुदाय से इन शिक्षा केन्द्रों के विकास के लिए आर्थिक मदद भी लेती है कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव स्तर पर बनाए गए पक्के भवन समुदाय की मदद का ही परिणाम है।

इन संस्थाओं के शैक्षिक नजरिए में समुदाय की भूमिका शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में एक मुख्य घटक के रूप में है और इन कार्यक्रमों में इसे इसी रूप में देखा जाता है। समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के लिए चार संस्थाओं ने अपने कार्यक्रमों में एक–एक समुदाय कार्यकर्त्ता भी रखा है, जो समुदाय की भागीदारी को निरन्तर मजबूत बनाए रखने का प्रयास करता है। इन कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी विद्यालय/शिक्षाकेन्द्र की व्यवस्था एवं प्रबंधन तक ही सीमित रहती है और समुदाय के कुछ गिने चुने लोग ही इसमें रूचि रखते हैं। उक्त चारों कार्यक्रमों में संस्था की भागीदारी एक तरफा ही हो पाती है। संस्था कार्यकर्त्ताओं तथा शिक्षकों की पहल पर ही समुदाय थोड़ा सक्रिय होता है। विद्यालय स्तर पर समय–समय पर संचालित सामूहिक गतिविधियों में भी संस्था कार्यकर्त्ताओं द्वारा पहल करने पर ही समुदाय भागीदारी निभाता है। समुदाय द्वारा पहल हो, ऐसी स्थितियाँ अभी नहीं बन पाई हैं। इन संस्थाओं का मानना है कि समुदाय की भागीदारी को अभी और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

4.5 **अकादमिक मददः** कार्यक्रम से जुड़े कार्यकर्त्ताओं/शिक्षकों को दी जाने वाली अकादमिक मदद कार्यक्रम को बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करती है। यह अकादमिक मदद शिक्षण कार्य के दौरान आ रही समस्याओं के समाधान करने तथा आगे की योजना बनाने में काफी मददगार होती है। इन पाँच संस्थाओं के कार्यक्रमों का अपना एक संरचनात्मक ढ़ाँचा है और इस ढ़ाँचे में अकादमिक मदद के लिए अलग से कार्यकर्ता हैं। कार्यक्रम से जुड़े लोगों का मानना है कि इन कार्यक्रमों में अकादमिक मदद एक ही स्तर पर न होकर अलग–अलग स्तरों पर होनी चाहिए, ताकि शिक्षण के प्रति समझ बेहतर हो पाए और शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो सके। इनका मानना है कि शिक्षण कार्य सीधे–सीधे श्क्षिक के द्वारा किया जाता है अतः शिक्षक को मुख्य रूप से मदद की आवश्यकता होती है। इन संस्थाओं के चयनित कार्यक्रम में शिक्षकों की मदद के लिए अलग–अलग स्तरों पर अलग–अलग कार्यकर्त्ता होते हैं। इन चारों कार्यक्रमों में अकादमिक मदद के लिए समुदाय कार्यकर्त्ता, अकादमिक कार्यकर्त्ता तथा कार्यक्रम समन्वयक तीन स्तरों पर कार्यकर्त्ता होते हैं, जो समय–समय पर

शिक्षकों की मदद करते हैं। एक संस्था इस प्रकार की मदद के लिए अपने दस प्रशिक्षक तैयार करती है और उनके माध्यम से मदद करने का प्रयास करती है। इन सभी कार्यक्रमों में अकादमिक मदद की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है।

1. **प्रशिक्षणों के द्वारा** – यह प्रक्रिया सभी संस्थाएँ अपनाती है। संस्था कार्यकर्त्ताओं/शिक्षकों को प्रारंभिक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है तथा फिर शिक्षण कार्य के दौरान बीच–बीच में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ की जाती है। तीन संस्थाओं में प्रारंभिक प्रशिक्षण 30 से 40 दिन का होता है। दो संस्थाओं में ये प्रशिक्षण 10 से 15 दिन होते हैं। शिक्षण कार्य के दौरान किए जाने वाले प्रशिक्षण काम की आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। एक संस्था में ये प्रशिक्षण 20 से 30 दिन तथा तीन संस्थाओं में 6 से 8 दिन की अवधि के किए जाते हैं। एक संस्था में मध्यावधि में प्रशिक्षण नहीं किए जाते हैं। इन प्रशिक्षणों में तीन संस्थाएँ शिक्षा के सैद्धान्तिक पक्ष के साथ–साथ व्यावहारिक पक्ष पर भी काम करती है। दो संस्थाएँ इन प्रशिक्षणें में कक्षाकक्ष शिक्षण कार्य पर ही अधिक केन्द्रित रहती है।

2. **शेयरिंग बैठक** – शेयरिंग बैठक की कार्य प्रक्रिया चार संस्थाओं में की जाती है। तीन संस्थाओं में यह बैठक प्रति माह दो दिन की आयोजित की जाती है। एक संस्था में यह बैठक प्रति सप्ताह एक दिन की जाती है। इन बैठकों में शिक्षकों के काम की शेयरिंग, समीक्षा तथा शिक्षण कार्य में आने वाली समस्याओं पर काम किया जाता है। बैठक में ही आगे की योजना बनाई जाती है। एक संस्था में इस प्रकार की कोई बैठक आयोजित नहीं की जाती है।

3. **अवलोकन के दौरान** – इन पाँच संस्थाओं में शिक्षकों की मदद हेतु कार्यरत संस्था कार्यकर्त्ताओं द्वारा अवलोकन किया जाता है। अवलोकन में कार्यकर्त्ता शिक्षक/शिक्षिका की कार्य योजना बनाने में एवं शिक्षण कार्य में मदद करता है। शिक्षिका को शिक्षण कार्य के दौरान आने वाली समस्या का समाधान कार्यकर्त्ता शिक्षक/शिक्षिका के साथ चर्चा करके तथा स्वयं बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करके करता है। इन कार्यक्रमों में अकादमिक मदद विभिन्न स्तरों पर की जाती है। यह अकादमिक मदद शिक्षकों में काम करने के प्रति उत्साह पैदा करने के साथ–साथ आत्मविश्वास भी पैदा करती है। अकादमिक मदद का यह स्वरूप कार्यक्रम को बेहतर बनाए रखने में काफी मददगार होता है ।

उपर्युक्त पाँच संस्थाओं के चयनित कार्यक्रमों को देखने व समझने के बाद कहा जा सकता है कि...

- इन पाँच संस्थाओं में से दो संस्थाएँ शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य को सीधे–सीधे लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की संकल्पना से जोड़ कर देखती है और इसी सिद्धान्त पर अमल करते हुए कार्य का क्रियान्वयन करती है। अवलोकन में उनके विचारानुसार काम के क्रियान्वयन को देखा जा सकता है। एक संस्था शिक्षा को इंसान में सामाजिकता, सृजनात्मकता, स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के स्तर पर देखती है। संस्था का यह नजरिया क्रियान्वन स्तर पर पूरी तरह से दृष्टिगत नहीं हो पाता है। दो संस्थाएँ शिक्षा के सैद्धान्तिक पक्षों पर अधिक कुछ नहीं करती है। ये संस्थाएँ बच्चों के साथ कक्षाकक्ष शिक्षण में किए जा रहे प्रयोगों पर अधिक बल देती है और सीखने – सिखाने की प्रक्रिया पर अधिक एकाग्र है।
- संस्थाओं के शिक्षाक्रम में उनके शैक्षिक नजरिए को देखा जा सकता है। दो संस्थाओं का अपना तैयार शिक्षाक्रम है। इनके सैद्धान्तिक पक्ष को व्यावहारिक धरातल पर लाने की प्रक्रिया को इनके दस्तावेजों के माध्यम से समझा जा सकता है और इनके क्रियान्वन में देखा जा सकता है। इन संस्थाओं द्वारा अपने ही शिक्षाक्रम को आधार मानकर काम किया जा रहा है। तीन संस्थाएँ स्वयं के किसी शिक्षाक्रम की बात नहीं करती है, किन्तु बच्चों के साथ किए जा रहे इनके शिक्षण प्रयोगों से इनकी सोच को समझा जा सकता है। ये संस्थाएँ राजस्थान राज्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित शिक्षाक्रम को आधार मानकर ही काम करती हैं।
- पाठ्य सामग्री या पाठ्यपुस्तकों का बच्चों से सीधा जुड़ाव होता है और क्षमताएँ विकसित करने में इन्हीं की मदद ली जाती है। दो संस्थाओं द्वारा अपने शिक्षाक्रम के आधार पर प्राथमिक स्तर तक (एक प्रथम तीन वर्ष तथा दूसरी प्राथमिक स्तर तक) की पाठ्य सामग्री का एक पैकेज तैयार

किया हुआ है। इन कार्यक्रमों में इसी का उपयोग किया जा रहा है। एक संस्था द्वारा एक वर्ष तथा एक संस्था द्वारा दो माह के ब्रिज कोर्स के लिए सामग्री बनाई हुई है। एक संस्था द्वारा प्रारंभ से ही राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल की पुस्तकों पर काम किया जाता है।

- बच्चों को सीखने में गति की स्वतंत्रता हो तथा कक्षीय व्यवस्था न हो। तीन संस्थाएँ इस विचार पर काम करने का मत रखती है। दो संस्थाओं द्वारा इसी मान्यता पर काम किया जा रहा है और इसी प्रकार की पाठ्य सामग्री को तैयार किया गया है। एक संस्था विचार स्तर पर तो सहमत है, किन्तु कक्षाकक्ष शिक्षण में ऐसा नहीं कर पा रही है। शेष दो संस्थाएँ कक्षीय या समूह व्यवस्था में काम करती है।
- शिक्षकःछात्र अनुपात को पाँचों संस्थाएँ 1:30 तक ही सीमित मानती है और ऐसा व्यवहार में भी क्रियान्वित करती है। कार्यक्रम में संचालित विद्यालयों/शिक्षाकेन्द्रों में शिक्षक–छात्र अनुपात 30 से अधिक देखने को नहीं मिला।
- बच्चों को चिन्तन करने, काम करने तथा निर्णय लेने के अवसर उपलब्ध हो। ऐसा विचार सभी संस्थाएँ रखती हैं और इस पर अमल करने का प्रयास भी करती है। दो संस्थाओं द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया में ऐसे अवसरों की उपलब्धता बार – बार करवाई जाती है। शेष संस्थाओं में ऐसे अवसर बहुत कम उपलब्ध होते हैं।
- पाँचों संस्थाएँ शिक्षक को सीखना – सिखाने की इस प्रक्रिया में एक मददगार के रूप में देखती हैं। इन कार्यक्रमों की कार्य प्रक्रिया में यह कहीं काफी स्पष्टतः तो कहीं आंशिक तौर पर देखने को मिला है।
- शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को सभी संस्थाएँ मुख्य उद्देश्य के रूप में देखती है। इस हेतु संस्थाएँ प्रयासरत भी हैं। इन सभी कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी विद्यालय की देखरेख एवं उसके प्रबंधन तक ही सीमित है। अकादमिक पक्ष में समुदाय की भागीदारी अभी तक नहीं के बराबर है। समुदाय की यह भागीदारी भी एक तरफा ही कही जा सकती है, क्योंकि कार्यक्रम सदस्यों द्वारा पहल करने पर ही समुदाय सक्रिय भागीदारी दे पाता है। स्वयं के स्तर पर समुदाय द्वारा बहुत कम पहल की जाती है।
- कार्यक्रमों में अकादमिक संबलन हो। यह पाँचों संस्थाओं का मानना है और इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम प्रशिक्षण/कार्यशाला को बताती है। सभी संस्थाओं में समय–समय पर प्रशिक्षण करवाए जाते हैं। प्रशिक्षणों में मुख्य कार्य इस पर होता है कि विद्यालय में व्यवस्था कैसी हो? बच्चों को शिक्षण कार्य कैसे कराएँ? बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें? आदि ये सभी पक्ष शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य से शुरू होते हैं और इन्हीं से इनका निर्धारण होता है। दो संस्थाएँ प्रशिक्षणों में इनके आपसी निर्भरता पर काम करती है। शेष ऐसा नहीं कर पाती है।

अध्याय–4

शोध अध्ययन : एक नजर में

6–14 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जाते रहे हैं। शिक्षा के सार्वजनीनकरण एवं शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अधिक संतोषजनक परिणाम नहीं रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य में शिक्षा की स्थिति को देखते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं ने शिक्षा के विस्तार एवं शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर अपनी भूमिका निभाई। इनमें से कुछ संस्थाओं ने राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रमों का संचालन किया तथा कुछ ने सरकार से इतर शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन किया। इस अध्ययन में पिछले दशक में राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अलग–अलग स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों को समझने की कोशिश की गई है। पिछले अध्याय में प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को लेकर, वृहद स्तर पर कार्य का क्रियान्वयन करने तथा शैक्षिक चिन्तन व प्रयोग के आधर पर कुछ संस्थाओं के प्रयासों को समझने की कोशिश की गई है। इस अध्याय में शिक्षा का सार्वजनीनकरण तथा शिक्षा में गुणवत्ता के आधार पर संस्थाओं के प्रयासों को समझने व विवेचित करने की कोशिश करेंगें।

1. शिक्षा का सार्वजनीनकरण

प्राथमिक शिक्षा में किए जा रहे सभी प्रयासों का एक मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वजनीनकरण करना है। ये प्रयास बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चलाये जा रहे हैं। चूंकि शिक्षा की स्थिति शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पिछड़ी हुई है अतः प्राथमिक शिक्षा के अधिकतर प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक केन्द्रित रहे हैं। अध्ययन के लिए चयनित 19 प्रयासों में से केवल दो प्रयास ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनमें से एक जनशाला कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा (जिसमें स्वयं सेवी संस्थायें भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं) चलाया जा रहा है तथा दूसरा एक स्वयं सेवी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। ये दोनों प्रयास शहरी कच्ची बस्तियों में चल रहे हैं।

अध्ययन के लिए चयनित प्रयासों को तीन प्रकार से देखा जा सकता है–

पहला, औपचारिक शिक्षा केन्द्र जिनके अन्तर्गत पूर्णकालिक (5–6 घण्टे) विद्यालय संचालित किए जाते हैं।

दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र जिनके अन्तर्गत अल्पकालिक (2:30 –3:00 घण्टे) विद्यालय संचालित किए जाते हैं।

तीसरा, आवासीय बालक/बालिका शिविर जो लगभग 7 से 9 माह के लिए चलाये जाते हैं।

अध्ययन के लिए चयनित 19 प्रयासों में से 15 प्रयासों के अन्तर्गत पूर्णकालिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों की समयावधि लगभग 5–6 घण्टे रहती है। इन 15 प्रयासों में से 11 प्रयास स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा तथा 4 प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रयासों में शिक्षाकर्मी एवं राजीव गांधी स्वर्णजयन्ती पाठशाला कार्यक्रम में शिक्षाकर्मी एवं राजीव गांधी पाठशालाओं का संचालन किया जा रहा है। शिक्षाकर्मी परियोजना के अन्तर्गत समस्याग्रस्त विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने का काम किया गया है तथा विद्यालय विहिनी गांवों में नये विद्यालय खोले गये हैं। राजीव गांधी पाठशालाएं उन विद्यालय विहीन गांवों में खोली गईं जहां की जनसंख्या कम से कम 200 हो, 6 से 14 आयु वर्ग के 40 बच्चे हों व एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय सुविधा उपलब्ध न हो।

जनशाला कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में चलाया जा रहा है तथा इस के अन्तर्गत दो प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं एक तो राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के विकास के लिए काम करना तथा दूसरा शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए सामुदायिक विद्यालय खोलना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के अन्तर्गत अलग से विद्यालयों का संचालन नहीं किया जाता है बल्कि पहले से शैक्षिक सुविधाओं

व गुणवत्ता को लेकर चल रहे राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं व गुणवता के लेकर मदद करने का काम डीपीईपी द्वारा किया जा रहा है।

चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों को दो तरह से देखा जा सकता है। पहला विद्यालय विहीन गांवों में शिक्षा व्यवस्था करना। ये प्रयास बड़े स्तर पर न होकर छोटे–छोटे स्तरों पर किये जा रहे हैं, किन्तु ये प्रयास ऐसे वंचित क्षेत्रों में किये जा रहे हैं जहां संस्थानुसार 3–5 कि.मी. की दूरी तक किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। इन संस्थाओं ने दूर–दराज के ऐसे स्थानों पर पहुंच कर शिक्षा की व्यवस्था तथा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया है।

दूसरा विद्यालय व्यवस्था के बाद भी विद्यालयों से नहीं जुड़ पा रहे बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना। इन प्रयासों द्वारा वहां की समस्याओं को समझकर वहां की आवश्यकता व परिस्थितिनुसार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल बच्चें को इन विद्यालयों तक लेकर आना था बल्कि इनके माध्यम से इन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना भी था।

राज्य सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों से विद्यालय–विहीन गांवों में औपचारिक विद्यालयों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। विद्यालयों की उपलब्धता होने से बालक–बालिकाओं का नामांकन काफी बढ़ा है। इससे राज्य की साक्षरता दर में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। किन्तु प्राथमिक स्तर तक बालक–बालिकाओं के ठहराव को देखें तो नामांकन की तुलना में उनका ठहराव काफी कम रहता है। प्राथमिक स्तर तक बालक बालिकाओं की नामांकन दर अच्छी होने के बाद भी उनका ठहराव नहीं हो पाता है और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक बालक–बालिकाओं की एक बहुत बड़ी संख्या ड्राप आउट कर जाती है, जो कि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिए एक बड़ा सवाल है? जरूरत है इस पर और विचार करने की।

अध्ययन में चयनित तीन प्रयासों के अन्तर्गत अनौपचारिक विद्यालयों (अंशकालीन 2:30 से 3 घंटे) का संचालन किया जा रहा है। इन प्रयासों में से एक प्रयास (जगार केन्द्र) के अन्तर्गत औपचारिक विद्यालय (पूर्ण कालीन) भी चलाये जा रहे हैं। ये अनौपचारिक विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं जहां विद्यालय सुविधा होने के बाद भी बहुत से बालक–बालिकायें इन विद्यालयों से नहीं जुड़ पाते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, किन्तु प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्य को इनके बिना नहीं पाया जा सकता है। ये प्रयास शिक्षा से वंचित ऐसे बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने तथा फिर संभवतः मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित होते हैं। शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्य तक पहुंचने में अनौपचारिक विद्यालयों की भूमिका मानी जा सकती है किन्तु ये भूमिका कितनी सार्थकता लिये है इसे समझने की जरूरत है? यहां पहली बात तो यह है कि विद्यालय स्तर पर सीखने के जिस शैक्षिक माहौल की मांग होती है क्या ऐसा शैक्षिक माहौल इन अनौपचारिक विद्यालयों में मिल पाता है? दूसरी बात इनमें कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के संबंध में है। इनमें कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकायें सामान्यतः जिस स्तर की शैक्षणिक योग्यता लिये हुए होते हैं क्या वे इस तरह के कार्य के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है? अगर इस पर सहमति है तो फिर अन्य औपचारिक विद्यालयों में प्रशैक्षणिक योग्यताधारियों की मांग क्यों रहती है। अनौपचारिक विद्यालय शिक्षा के सार्वजनीनकरण में कितने मददगार हो सकते हैं इस पर विचार करने की जरूरत है।

अध्ययन के लिए चयनित एक प्रयास के अर्न्तगत बालिका शिविर चलाये जा रहे हैं। सात माह या नौ माह के इन शिविरों में 9 से 14 आयु वर्ग की ऐसी बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करवाई जाती है, जो या तो शिक्षा से पूर्णतः वंचित हैं या फिर किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी होती हैं। इस तरह के प्रयास बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक शिक्षा पूरी करवाने के लिए निसंदेह सराहनीय हो सकते हैं किंतु सात या नौ माह की अल्पावधि में प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करवा पाना कितना संभव हो पाता है, इसे समझने की जरूरत है।

इन सभी संस्थाओं द्वारा राज्यों में शिक्षा के सार्वजनीनकरण को लेकर जो प्रयास किये जा रहे हैं वे सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितिबार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योकिं इन प्रयासों ने शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। किन्तु सीखने–सिखाने की दृष्टि से इस तरह के प्रयास किस तरह से उपयोगी होंगे इन पर विचार करने की दरकार है क्योंकि विद्यालय का मुख्य कार्य सीखना और सिखाना है और वह भी व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से।

2. शिक्षा में गुणवत्ता सुधार

सामान्यतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देखने, समझने व क्रियान्वित करने के लोगों के अपने–अपने विचार व अपनी–अपनी मान्यताएँ है, जो कहीं बहुत–सी समानताएँ लिए है तो कहीं बहुत–सी भिन्नताएँ लिए है। इस अध्ययन में चयनित सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को अपने–अपने नजरिए से देखती व समझती है तथा उसके अनुरूप कार्य का क्रियान्वयन कर रही हैं। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विद्यालय में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से लेकर बच्चों के साथ किये जाने वाले शिक्षण कार्य तक देखा जाता है। इन कार्यक्रमों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता में विद्यालय भवन, विद्यालय प्रबंधन, पठन–पाठन सामग्री, सहायक शिक्षण सामग्री आदि को माना जाता है तथा शिक्षण में बाल केन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया, आनंनदायी शिक्षण प्रक्रिया, सृजनात्मक कार्य प्रक्रिया, बच्चों के प्रति संवेदनशील नजरिया, परिवेश संबंधी विधा व विषयवस्तु आदि को शामिल किया जाता है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चूँकि जिन परिस्थितियों व व्यवस्थाओं में काम किया जाता है उनमें विद्यालय में भौतिक संसाधनों पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले ये प्रयास अधिक समय तक चलाये जाने वाले नहीं होते हैं और ना ही भौतिक जरूरतों को (सरकारी प्रयासों की तरह) पूरे करने वाले होते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले प्रयास सीमित समयावधि तथा सीमित संसाधनों में क्रियान्वित किये जाते हैं। इन संस्थाओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अन्तर्गत मुख्य रूप से गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य, आनंनदायी शिक्षण कार्य, बच्चों के स्तरानुसार शिक्षण कार्य तथा बच्चों को गति की स्वतंत्रता, सहायक शिक्षण सामग्री की उपयोगिता, बच्चों के प्रति संवेदनशील नजरिया, शिक्षक की मददकर्ता के रूप में भूमिका आदि पक्षों को शामिल किया जाता है।

सरकारी संस्थाओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दायरे में अगर स्वयंसेवी संस्थाओं को देखने का प्रयास किया जाए तो भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के स्तर पर बहुत सी संस्थाऐं इस दायरे से बाहर हो जाती है। क्योंकि इन संस्थाओं द्वारा जिन परिस्थितियों में सीमित समयावधि तथा सीमित बजट में ये प्रयास किये जाते हैं वे सरकारी संस्थाओं के समान भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण नहीं होते हैं। भौतिक संसाधनों का स्थायित्व इनमें कम देखने को मिलता है। बहुत कम संस्थाऐं ऐसी है जो अपने कार्यक्रमों में इस स्तर पर भौतिक संसाधनों की पूरी तरह से व्यवस्था कर पाती है। इन संस्थाओं में से अधिकतर संस्थाऐं चूँकि दो या तीन घण्टे के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाती है तथा समुदाय द्वारा उपलब्ध कराये हुए किसी स्थान का ही उपयोग करती है। अतः इन कार्यक्रमों में सीमित व आवश्यक संसाधनों का ही उपयोग किया जाता है। इनसे दूसरी तरफ अगर भौतिक संसाधनों की आवश्यकता तथा उपलब्धता पर विचार करें कि क्या भौतिक संसाधनों की ठीक तरह से व्यवस्था हुए बिना शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात नहीं की जा सकती? इस स्तर पर कुछ संस्थाओं के कार्यक्रमों को देखा जा सकता है जो सीमित संसाधनों के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर प्रयासरत है।

कक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण के नजरिये से गुणवत्ता सुधार को लेकर बहुत सी संस्थाओं का मिलता–जुलता विचार है, जिसे वे क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही है। बाल केन्द्रित शिक्षण, आनंनदायी शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टि आदि पक्षों पर कुछ संस्थाओं की राय लगभग समान है और ये संस्थाऐं इन मान्यताओं पर अमल करते हुए काम को क्रियान्वित करने का मत रखती है। इन संस्थाओं का मानना है कि बच्चों की सीखने की अपनी–अपनी गति होती है अतः उन्हें सीखने में गति की स्वतंत्रता होनी चाहिये और यह तभी हो सकता है जब बच्चों के साथ शिक्षण कार्य कक्षावार या समूहवार ना होकर उनके स्तरानुसार किया जा रहा हो। ये संस्थाऐं इस विचार पर ही अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यालयों का संचालन कर रही है। इस विचार के आधार पर अलग–अलग कक्षाओं के लिए अलग–अलग कक्षा कक्ष का होना अनिवार्य नहीं है। ये संस्थाऐं एक ही कक्षा में बच्चों के साथ उनके अलग–अलग स्तरानुसार काम करने में विश्वास रखती है और इनके क्रियान्वयन में यह देखा जा सकता है। चूँकि इस कार्य प्रक्रिया में पाठ्यसामग्री, सहायक शिक्षण सामग्री, बच्चों के प्रति शिक्षक का संवेदनशील नजरिया, शिक्षक की भूमिका तथा शिक्षक–छात्र अनुपात आदि पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतः इन सभी पक्षों पर गहरी तैयारी की आवश्यकता होती है। इन पक्षों पर समझ व तैयारी के बाद ही संस्थाऐं इस प्रकार कार्य का क्रियान्वयन कर सकती हैं। यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि इस प्रकार की समझ के अभाव में बच्चों को स्तरानुसार गति की स्वतंत्रता देकर उनके साथ शिक्षण कार्य कराना संदेहजनक हो सकता है। उपुर्यक्त पक्षों को समझने के लिए शिक्षा के अर्थ व उसके उद्देश्यों को समझना अनिवार्य हो जाता है अर्थात शिक्षा के अर्थ

तथा शिक्षा के उद्देश्यों को समझे बिना इस सोच पर काम करना कितना सार्थक हो पाता है यह कहना मुश्किल है।

कुछ संस्थाऐं शिक्षा के अर्थ व उसके उद्देश्यों पर गहरा चिन्तन किये बिना बच्चों के साथ कक्षा शिक्षण कार्य के द्वारा पढ़ना–लिखना सिखाने की बात करती है या ऐसा कर रही है। यह बच्चों के लिए कितना उपयोगी हो रहा है अपने आप में एक सवाल है। बच्चों के पढ़ने लिखने को ही शिक्षा का उद्देश्य मानकर काम कर रही संस्थाओं को यह भी विचार करना होगा कि बड़े होकर बच्चों को समाज में जीवन यापन करना होगा तथा प्रत्येक घटनाक्रम को अपने नजरिये से देखना व समझना होगा। अतः विचार करना तथा अभिव्यक्त करना, निर्णय ले पाना, समाज में अपनी भागीदारी निभाना आदि कौशल बच्चों में प्रारम्भिक स्तर से ही विकसित करने होंगे, जो मात्र पढ़ना–लिखना सिखाने से विकसित हो पाना मुश्किल है।

बालकेन्द्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, आनंनदायी शिक्षण प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कार्य प्रक्रिया में मुख्य स्थान दिया जाता है। सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाऐं इस विचार को क्रियान्वित किये जाने का मत भी रखती हैं, किन्तु इनके शिक्षण कार्य में ऐसा बहुत कम देखा जाता है। अध्ययन में अवलोकन के दौरान ऐसा मत रखने वाली संस्थाओं में से बहुत कम संस्थाऐं (सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाऐं) ऐसी थी जो इस विचार के अनुसार काम कर रही थी। बच्चों के प्रति संवेदनशील नजरिये के अन्तर्गत बच्चों के साथ सहज व समान व्यवहार के साथ–साथ बच्चों को दण्ड व भय नहीं देना को भी शामिल कर देखा जाता है। अवलोकन के दौरान देखा गया कि बहुत कम संस्थाऐं इस विचार को आधार मानकर काम कर रहीं थी तथा इसे व्यवहार में भी उतार रही थी। अधिकतर संस्थाओं द्वारा इस विचार पर अपनी मान्यता के बाद ही बच्चों को दण्ड व भय देना को उनके सामान्य व्यवहार में देखा जा सकता है। बच्चों से बातचीत से यह समझा जा सकता हैं कि बच्चों को मारना व डाँटना एक आम बात है।

शिक्षक की भूमिका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुख्य पक्षों में से एक है। बच्चों के साथ व्यवहार, बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध होना, शिक्षक मददकर्ता के रूप में कार्य करे, बच्चों को इच्छानुसार काम करने की स्वतंत्रता, सीखने में गति की स्वतंत्रता हो इन सब पर शिक्षक का नजरिया क्या है? यह पूरी कार्य प्रक्रिया शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। अवलोकन में देखा गया कि बहुत कम संस्थाऐं अपने कार्य व्यवहार में ऐसा करती है। इनमें कार्यरत शिक्षक इन पक्षों पर विचार करके काम का क्रियान्वयन करते हैं। कुछ संस्थाऐं इन पक्षों पर ना विचार करती है और ना ही उनके व्यवहार में ऐसा देखा जा सकता है।

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर इन संस्थाओं के नजरिये को समेकित करके देखने की जरूरत है ताकि कुछ समान पक्षों के आधार पर गुणवत्ता सुधार को बेहतर तरीके से समझा जा सके। यह अनिवार्य है कि पहले शिक्षा के अर्थ व उसके उद्देश्यों को समझा जाए। इन्हें समझे बिना शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात करना कितना उपयोगी हो सकता है यह कहना मुश्किल है। बालकेन्द्रित शिक्षण, आनंनदायी शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, बच्चों के प्रति नजरिया, शिक्षक की भूमिका, शिक्षण व्यवस्था, बच्चों को गति की स्वतंत्रता आदि पर शिक्षण कार्य निर्भर करता है। अतः इन पक्षों को ठीक प्रकार से समझे बिना शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को समझना संशययुक्त हो सकता है। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाऐं अपने–अपने विचार से इसे समझकर कार्य का क्रियान्वयन कर रही है किन्तु यह कितना सार्थक व उपयोगी है यह कहना मुश्किल है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार पर संस्थाओं के अलग–अलग मत को एक साथ देखने व समझने की जरूरत है ताकि एक दूसरे के अनुभव को समझकर उनका उपयोग किया जा सके और आगे काम को बेहतर बनाया जा सके।